

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023—ज्येष्ठ 12, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं।
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. ई. 1-251-2022-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2023 द्वारा श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल की सेवाएं Deputy Chairperson, Chennai Port Authority के पद पर प्रतिनियुक्त हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं।

(2) उपरोक्तानुसार श्री एस विश्वनाथन, भाप्रसे (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल को दिनांक 20 अप्रैल, 2023 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है। श्री विश्वनाथन के कार्यमुक्त होने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपने वर्तमान

कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 2 मई 2023

क्र. ई. 1-52-2022-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र. अधिकारी का नाम

सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला

(1) (2)

1 श्री एश्वर्य वर्मा

(3)

2 श्री रविकुमार सिहाग

बैतूल

मण्डला

6007

(1)	(2)	(3)
3	श्री आशीष	सिवनी
4	श्री कातिंकेय जायसवाल	छतरपुर
5	श्री विशाल धाकड़	धार
6	सुश्री सोनाली देव	रीवा
7	श्री अर्पित गुप्ता	सीहोर
8	सुश्री तनुश्री मीणा	छिन्दवाड़ा

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 12 मई 2023 को अपराह्न में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. ई. 1-73-2022-5-एक.—संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 36/01/2023-EO (SM-I) दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के अनुक्रम में श्री फैज अहमद किंदवई, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं चेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

क्र. ई 1-233-2021-5-एक.—डॉ. नागर्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे (2019), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. नागर्जुन बी. गौड़ा द्वारा सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांचिकी विभाग तथा सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार), केवल सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र. ई-81-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाएं गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया	(4)
(1)	(2)	(3)		
1.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग		—
2	श्री नवनीत मोहन कोठारी (2001), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.	प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री मनीष सिंह (2009), प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	वि. क. अ.-सह-आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) उपरोक्तानुसार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधान विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव भाप्रसे (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधान विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधान विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2023

क्र. 1241-1223488-2023-2-एक.—श्रीमती अनुपमा निनामा, रा. प्र. से. (आर. आर.-2006) अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 20 मार्च 2023 में लेख किया गया कि उनका पुनर्विवाह दिनांक 15 फरवरी 2023 को श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, निवासी 7364, सेगाव बाग-3 जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के साथ विधिवत् सम्पन्न हुआ है, इसलिए विवाहोरांत अभिलेखों में उनका नाम श्रीमती अनुपमा निनामा के स्थान पर श्रीमती अनुपमा चौहान पति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान किया जावें।

(2) श्रीमती अनुपमा निनामा, रा. प्र. से. (आर. आर.-2006) अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षणोंपरात राज्य शासन एतद्वारा, श्रीमती अनुपमा निनामा, रा. प्र. से. (आर. आर.-2006) द्वारा प्रस्तुत आवेदन मान्य करते हुए उनका नाम श्रीमती अनुपमा निनामा के स्थान पर श्रीमती अनुपमा चौहान पति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार नाम / पति का नाम / उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अनुपमा चौहान पति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के सेवा अभिलेखों में तत्काल की जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सेन्ड्रे, अवर सचिव 'कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र. एफ-5-01-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री वीरेन्द्र सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. डी-1830-(दो-1-7-2018) दिनांक 13 अप्रैल 2023 के अनुक्रम में 24 से 25 मार्च 2023 तक का, दिनांक 28 मार्च 2023 का एवं दिनांक 1 अप्रैल 2023 का कुल चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मई 2023

क्र. एफ 1(ए)69-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश में से दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक की अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अन्तर्गत अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. सुश्री प्रियंका शुक्ला — स्वयं
2. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, — स्पाउस

(2) उक्त अवकाश अवधि में सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे का चालू कार्य श्री शशांक, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, कैट संभाग जिला जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जारी तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए)87-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6-7 व 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत जशपुर (छत्तीसगढ़) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, — स्वयं
2. श्री अमृत कुमार केरकेट्टा — पति
3. श्री रचित केरकेट्टा — पुत्र
4. कु. श्रेया केरकेट्टा — पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, का चालू कार्य श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जारी तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए)128-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (मध्यक्षेत्र), भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री नवनीत भसीन, — स्वयं
2. श्रीमती शुभांगी भसीन, — पत्नी
3. कु. धृति भसीन, — पुत्री
4. कु. विदुषी भसीन — पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, का चालू कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (मध्यक्षेत्र), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नवनीत भसीन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 87-2008 ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा, एन. भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु. भोपाल का दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ 1(ए)157-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु. भोपाल को दिनांक 15 से 24 मई 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री जी. जनार्दन, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री चंचल शेखर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी. पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-34-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतदद्वारा, श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 मई से 23 जून 2023 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में टोरन्टो (कनाडा) की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2023 को निरस्त कर उसके स्थान पर श्रीमती रुचि वर्धन मित्र, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशासन), पु. मु., भोपाल का दिनांक 4 अप्रैल से 2 मई 2023 तक उनतीस दिवस संतान पालन अवकाश एवं 01-03 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. एफ 1 (ए) 10-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अनुसंधान) पु. मु., भोपाल को दिनांक 6 से 19 मार्च 2023 तक चौदह दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्टाइस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन् भलावी, अवर सचिव।

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ-25-56-2018-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 12 जनवरी 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 176-3334-06-दस-3 दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड $21^{\circ}37'57.302''$ से $21^{\circ}38'19.930''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}43'54.277''$ से $75^{\circ}44'20.524''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—भीकनगांव, वनमण्डल—खरगोन, वनपरिक्षेत्र—भीकनगांव

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का	ग्राम/ संरक्षित क्रमांक/ वन	खसरा संरक्षित क्रमांक/ वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधि- सूचना का क्र. और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पछाया पुराना- 22 नया-12	पछाया / P- 1210	212/1 दस-3-2003 दि. 24-12-03 प्रकाशन दि. 16-1-04	-	डी-886-4148- दस-3-2003 दि. 24-12-03 प्रकाशन दि. 16-1-04	53.00	उत्तर —मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक गाड़ी रास्ता तथा खसरा क्र. 212/2/8, 212/2/7, 212/2/6, 212/2/5, 212/2/4, 212/2/3, 212/2/2 एवं 212/2/1 की सीमा। पूर्व—मुनारा क्र. 8 से 10 तक ग्राम खेरदा की सीमा। दक्षिण—मुनारा क्र. 10 से 21 तक, खसरा क्र. 212/1/2 एवं 213/1 की सीमा। पश्चिम—मुनारा क्र. 21 से 27 एवं 1 तक गाड़ी रास्ता एवं 211 की सीमा।	
						योग . .	53.00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ-25-56-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-56-2018-दस-3, दिनांक 25 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal, the 25th May 2023

No. F-25-56-2018-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 176-3334-06-X-3 dated 12th January 2007 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 02nd February 2007 the State Government, under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21°59'21.031" to 21°59'43.008" North Latitude and 76° 06'21.107" to 76°06'58.221" East Longitude.

SCHEDULE

District—Khargone, Forest Division—Khargone (T) Tahsil-Bhikangaon, Forest Range-Bhekangaon

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compar- tment	If Revenue Land then Head of the land	If Protected Forest then its Notification No.	Area (hectare)	Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pachhaya Old-22 New-12 Pachhaya	212/1, P-1210	-		D-886-4148-X- 3-2003-Date 24-12-03 Publication Date 16-01-04	53.00	North —Pillar No. 1 to 8 Cart Track and boundry of kh. No. 212/2/8, 212/2/7, 212/2/6, 212/2/5, 212/2/4, 212/2/3, 212/2/2 and 212/2/1. East —Pillar No. 8 to 10, boundry of village Kherda. South —Pillar No. 10 to 21 and boundry of Kh. No. 212/1/2 and 213/1. West —Pillar No. 21 to 27 and 1 cart track and boundry of Kh. No. 211.	
Total Block Area . .53.00								

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

क्र. एफ-25-40-2018-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1), दिनांक 12 जनवरी 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7197-4188-06-दस-3, दिनांक 29 दिसम्बर 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड $21^{\circ}37'57.302''$ से $21^{\circ}38'19.930''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}43'54.277''$ से $75^{\circ}44'20.524''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—भगवानपुरा, वनमण्डल—खरगोन, वनपरिक्षेत्र—बिस्टान

क्र.	आरक्षित	पटवारी	ग्राम/	खसरा	यदि राजस्व	यदि संरक्षित वन	क्षेत्रफल	सीमाएं
वनखण्ड	हल्का	संरक्षित	क्र./संरक्षित	भूमि है	है तो उसका अधि-	(है, में)		
क्रमांक/	वनखण्ड	वनकक्ष	वनकक्ष	तो उसका	सूचना का क्र.	और		
वन		क्रमांक	क्रमांक	मद	दि. तथा राजपत्र			
परिसर					प्रकाशन का दि.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बलखड़	40/ बलखड़ खुर्द/ खुर्द	44/1, अनकवा बलखड़ खुर्द P-ड़ी	44/1, 1222	-	डी-7197-4188-0 6-दस-3-2003 दि. प्रकाशन दि. 29-12-2006	31.974	उत्तर —मुनारा क्रमांक 31 एवं 1 से 13 तक खसरा क्रमांक 11, 15, 16 एवं 23 की दक्षिण सीमा। पूर्व—मुनारा क्र. 13 से 14 तक खसरा क्रमांक 43 की सीमा। दक्षिण—मुनारा क्र. 14 से 29 तक, खसरा क्र. 45 पश्चात् गलतार बांध की सीमा। पश्चिम—मुनारा क्र. 29 से 31 आरक्षित वनकक्ष क्र. 633 की पूर्वी सीमा।

योग . . . 31.974

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ-25-40-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-40-2018-दस-3, दिनांक 25 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th May 2023

No. F-25-40-2018-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 7197-4188-06-X-3 dated 29th December 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12th January 2007 the State Government, under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21°37'57.302" to 21°38'19.930" North Latitude and 75° 43'54.277" to 75°44'20.524" East Longitude.

SCHEDULE

District—Khargone, Forest Division—Khargone (T), Tahsil-Bhagwanpura, Forest Rang-Bistan

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compar- tment	If Revenue Land then Head of the land	If Protected Forest then its Notification No.	Area (hectare)	Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Balkhad Khurd	40/ Anak- wadi	Balkhad Khurd/ Balkhad	44/1, P-1222 Khurd	-	D-7197-4148-06- X-3-Publication Date 29-12-06	31.974	North —Pillar No. 31 & 1 to 13 Southern boundary of Kh. No. 11, 15, 16 & 23. East —Pillar No. 13 to 14, boundary of Kh. No. 43.. South —Pillar No. 14 to 29 Kh. No. 45 then boundary of Galtar Dam. West —Pillar No. 29 to 31, Eastern boundary of R. F. compartment No. 633.

Total (Block Area) . 31.974

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 1081-1341585-2023-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड $21^{\circ}54'6.95''$ से $21^{\circ}54'16.83''$ उत्तर अक्षांश तथा $76^{\circ}20'10.31''$ से $76^{\circ}20'19.25''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खण्डवा, तहसील—खण्डवा, वनखण्डल—खण्डवा (सा.), वन परिक्षेत्र—खण्डवा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सुरगांव निपानी 'अ'	सुरगांव निपानी	शासकीय भूमि	52/1	5.56	उत्तर —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 02 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 77, 78, 79 एवं 80 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा
क्र. 02 से 05 तक की सीमा एवं खसरा
क्रमांक 105, 106, 134 एवं 135
तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा
क्र. 5 से 6 तक की सीमा एवं खसरा
क्रमांक 51 तक की कृत्रिम वन
सीमा.

पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा
क्र. 6 एवं 1 तक की सीमा एवं खसरा
क्रमांक 52/2 तक की कृत्रिम
वन सीमा.

योग . . 5.56

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB026/2022-BHO, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित 4.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.56 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.56 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-59-अ-59/2022-23, खण्डवा, दिनांक 23 जनवरी 2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी—तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय बन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. आर-1341585-2023-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-1081-1341585-2023-दस-3, दिनांक 31 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st May 2023

No. 1081-1341585-2023-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21°54'6.95" to 21°54'16.83" North Latitude and 76° 20' 10.31" to 76° 20' 19.25" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khandwa, Tahsil-Khandwa, Forest Division—Khandwa (T), Forest Range—Khandwa

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Presented head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Surgao Nipani (A)	Surgao Nipani	Government Land	52/1	5.56	North —Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 2 of Protected Forest Block.
						East — Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to 5 of Protected Forest Block.
						South —Artificial Forest boundary from Pillar Number 5 to 6 of Protected Forest Block.

West—Artificial Forest boundary from Pillar Number 6 to 1 of Protected Forest Block.

Total . . 5.56

(A) Reason for publication of Notification :—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPB026/2022-BHO, dated 1st December 2022 and in lieu of 4.8 hectare of forest land affected in Khalwa Micro Irrigation Project of Executive Engineer, Narmada Development Division Bhikangaon, District Khargaon, the above mentioned Non Forest land of 5.56 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.59-A-59/2022-23, Khandwa Dated 23rd January 2023 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Tehsildar Khandwa are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 1087-1347685-2023-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड 25°36'55.139" से 25°37'26.565" उत्तर अक्षांश तथा 77°17'419.19" से 77°17'44.149" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैः—

अनुसूची

जिला—शिवपुरी, तहसील—पोहरी, वनमण्डल—शिवपुरी, वन परिक्षेत्र—पोहरी

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	क्र. का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मड़खेड़ा	मड़खेड़ा	राजस्व भूमि	269/1	30.00	उत्तर —प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा की सीमा।

पूर्व—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा की सीमा।

**दक्षिण—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 15 से
19 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा की
सीमा.**

**पश्चिम—प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 19
से 02 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा
की सीमा.**

योग . . 30.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB009/2022-BHO, दिनांक 31 मार्च, 2023 में सैद्धांतिक स्वीकृति की अधिरेपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित शिवपुरी की स्वीकृत परियोजना मड़खेड़ा समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 06 प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/145605/2021 (1.323 हे.), FP/MP/WATER/145740/2021 (4.69 हे.), FP/MP/WATER/145972/2021 (4.99 हे.), FP/MP/WATER/146083/2021 (4.4469 हे.), FP/MP/WATER/146085/2021 (4.99 हे.), एवं FP/MP/WATER/6007/2021 (3.37 हे.)में प्रभावित 23.809 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 30.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक-0029-अ-20 (3)/2022-23-नजूल-1683, दिनांक 26 जुलाई 2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक 16 जुलाई 2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. आर-1347685-2023-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-1087-1347685-2023-दस-3, दिनांक 31 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st May 2023

No. 1087-1347685-2023-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified

by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $25^{\circ}36'55.139''$ to $25^{\circ}37'26.565''$ North Latitude and $77^{\circ}17'41.419''$ to $77^{\circ}17'44.149''$ East Longitude :—

SCHEDULE

District—Shivpuri, Tahsil-Pohri, Forest Division—Shivpuri, Forest Range—Pohri

No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Presented head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mudkheda	Mudkheda	Revenue Land	269/1	30.00	North —Proposed boundary Pillar No. 02 to 10 village Madkheda Ahera.
						East — Proposed boundary Pillar No. 10 to 15 village Madkheda Ahera.
						South —Proposed boundary Pillar No. 15 to 19 village Madkheda Ahera.
						West —Proposed boundary Pillar No. 19 to 02 village Madkheda Ahera.
						Total . . 30.00

(A) Reason for publication of Notification :—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPB009/2022-BHO, dated 31st March 2023 and in lieu of 23.809 hectare of forest land affected in 06 sanctioned projects FP/MP/WATER/145605/2021 (1.323 ha.), FP/MP/WATER/145740/2021 (4.69 ha.), FP/MP/WATER/145972/2021 (4.99 ha.), FP/MP/WATER/146083/2021 (4.4469 ha.), FP/MP/WATER/146085/2021 (4.99 ha.) and FPMP/WATER/6007/2021 (3.37 ha.) of Madikheda Multi Village Rural Water supply Scheme of MP Jal Nigam Maryadit, PIU Shivpuri (M.P.), the above mentioned Non Forest land of 30.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 0029/A-20(3)2022-23/NAZUL/1683 Dated 26th July.2022 of 30.00 hectare Collector Shivpuri for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 16th July 2022 of SDM Pohri are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-1-23-रा.स.-यू.ए.-1-527.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-23-रा.स.-यू.ए.-1-410, दिनांक 19 अप्रैल 2023 के द्वारा प्रो. अविनाश तिवारी, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है समिति में डॉ. एस. के. जैन, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एवं डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल, कुलपति, डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन (हि. प्र.) सदस्य हैं।

(2) समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है परन्तु किन्हीं कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है।

(3) अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 06 सप्ताह की समयावधि में 02 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है।

कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश

रत्लाम, दिनांक 2 मई 2023

क्र. 243-व. लि.-श.ला.-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 एवं 19-24-2019 एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार जिला रत्लाम की तहसील रत्लाम में शासन द्वारा निर्मित मेडिकल कॉलेज का नामकरण “डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय मेडिकल कॉलेज” किया जाता है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. F.Rev-6-0010-2023-Sec-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, धारा जिले के अनुविभाग धारा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग पीथमपुर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेष्ठित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अनुविभाग धार (मुख्यालय धार)	तहसील पीथमपुर के प.ह.नं. 01 से 74 तक, कुल 74 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	धार	अनुविभाग धार में तहसील धार के प.ह.नं. 184 से 292 तक, कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे।	उत्तर में—अनुविभाग बदनावर, पूर्व में—प्रस्तावित अनुविभाग पीथमपुर, दक्षिण में—अनुविभाग मनावर, पश्चिम में—अनुविभाग सरदारपुर,
2.	—	—	पीथमपुर	तहसील पीथमपुर के प.ह.नं. 01 से 74 तक, कुल 74 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	उत्तर में—इंदौर जिला, पूर्व में—इंदौर जिला, दक्षिण में—अनुविभाग मनावर एवं तहसील धरमपुर, पश्चिम में—अनुविभाग धार एवं मनावर।
3.	प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।				मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 23 मई 2023

प्र. क्र.-13-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
कटनी	विजयराघवगढ़	बरगी पटवारी	1.450	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की खिरवाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु.	
		हल्का नं. 36.				

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-14-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
कटनी	विजयराघवगढ़	बम्होरी पटवारी	0.794	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की बम्होरी सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.	
		हल्का नं. 46.				

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-15-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खिरवाखुर्द	2.550	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की खिरवाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु।
		पटवारी			
		हल्का नं. 39.			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-16-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	कलहरा	3.050	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की सलैया माइनर नहर निर्माण हेतु।
		पटवारी			
		हल्का नं. 13.			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-17-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खलवारा पटवारी	2.800	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की धनेडीकला माइनर नहर निर्माण हेतु.
		हल्का नं. 38.			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-18-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	दुर्जनपुर पटवारी	0.810	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की परसवारा माइनर नहर निर्माण हेतु.
		हल्का नं. 41.			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-19-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वृत्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	देवरी मझगवां पटवारी हल्का नं. 13	2.610	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की मझगवां नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-20-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वृत्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	हरैया पटवारी हल्का नं. 40	2.910	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की सिमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-21-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	धनवाही पटवारी हल्का नं. 37	0.400	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की सिमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-22-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	सलैया पटवारी हल्का नं. 29	1.980	कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की सलैया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाडा, दिनांक 10 मई 2023

क्र. 3154-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनसूची

(1) भूमि का वर्णन—

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकमा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
578/1	0.004
561/3	0.071
योग. .	<hr/> कुल रकमा 0.075 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि को आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, खोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 3155-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनसाची

(1) भूमि का वर्णन—

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86/3	0.021
93/2	0.004
199/3	0.037
360/1	0.057
202/2	0.031
योग.	कुल रकबा 0.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-743-82-21-22-भू-अर्जन-23-2585

सागर, दिनांक 28 मार्च 2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

- (1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत ढूब क्षेत्र निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : खुरई
3. ग्राम : खजरा हरचंद
4. पट.ह.नं.— : 35
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 4.360 हे.
6. अर्जित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल : 4809.590 वर्गमीटर

:: अनुसूची ::

स. क्र.	भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा हे.में	अर्जित भूमि का विवरण हे.में			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
				सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भरोसी पिता रागवर पता सा०देह भूमि स्वामी	10/2	0.760	0.030	0.000	0.000	रेंजा-1, सेमर-1 खजूर-1
2	आनन्द कुमार पिता विष्णु प्रसाद पता सा०देह भूमि स्वामी	12/2	0.800	0.760	0.000	0.000	आम-2, बेर-2 सेमर-1, बबूल-1 गुरार-2, छेवला-4 सतकटा-1, खजूर-1
3	वीरसिंह पिता रूपसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	181/1	0.410	0.010	0.000	0.000	निरंक
		183	0.500	0.250	0.000	0.000	शूलबबूल-1
4	मुलू पिता बुद्धे गोरारानी पति मुलू सा०देह भूमिस्वामी अहसतांतरणीय	223	0.550	0.550	0.000	0.000	निरंक

5	घनश्याम रगवीर पिता गुलाब देवबाई द्वोषदीबाई पुत्री गुलाब पता सा.देह शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	314	0.410	0.040	0.000	0.000	निरंक
6	छोटेलाल पिता निरभेसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	329	0.030	0.000	0.030	0.000	खजूर-1, कैथ-1
7	नंदलाल कमल खिलान पिता गनेश पता सा.देह भूमि स्वामी	331	0.230	0.020	0.000	0.000	निरंक
8	बलीराम राजू रगवीर गिरजाबाई पिस मनुवा सा.देह भूमि स्वामी	341	0.020	0.000	0.010	0.000	निरंक
9	लालचंद पिता मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी परसोत्तम पिता मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी भगवत पिता मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी उर्मिला पुत्री मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी भालू पिता हरीराम महरानी बेवा हरीराम पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी रामबाबू ब्रजेन्द्र	344	0.050	0.000	0.050	0.000	निरंक

	नरेनद्र नाबालिंग शारदाबाई सविताबाई बालिंग रचना नाबालिंग पिता नंदू पालक व खुद मॉ चन्द्रारानी बेवा नंदू पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी भगवानसर्सिंग पिता बारे पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी बबलू कंद्येदी तुला जानकी रेखा पिता लछमन शीलाबाई बेवा लछमन पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी ब्रजेश बालिंग हेमुत नाबालिंग कला बालिंग पिता रघुवीर पालक व खुद मॉ रेखा बेवा रघुवीर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी कृपाराम पिता बारे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी घनश्याम पिता बारे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी पार्वती पुत्री कलुआ पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी नरेश राजभाई प्रदीप बालिंग नेता नाबालिंग अनीता पिता मनीराम पालक व खुद मॉ गेंदारानी बेवा मनीराम पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि	351	0.050	0.000	0.000	0.050	-
10	क्रपाराम पिता बारेलाल काढी पता सा देह भूमि स्वामी	345	0.110	0.110	0.000	0.000	अमरुद-14, वेल-2, आम-2, कैथ-1
11	रूपसर्सिंग पिता मानसर्सिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	352	0.100	0.000	0.100	0.000	निरंक
12	राजेनद्रसिंह पिता जसवंत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	367	0.050	0.000	0.050	0.000	निरंक

13	लाडली पिता रमला सुशीला बेटीबाई भगिया सरोज पिता रगवर मल्ली बेवा रगवर भूमि स्वामी भरोसा मोहनिया सुक्का गनता सतुवा पिता रगवर जसवंत सिंह पिता खिलान गुबरा वीरसिंह काशीराम भूमि स्वामी तुलसिया शीला पिता दौलत दुमिया बेवा दौलत पता सा.देह भूमि स्वामी	369/1	0.200	0.200	0.000	0.000	निरंक
14	सन्तराम पिता रगवर पता सा देह भूमि स्वामी	369/2	0.050	0.000	0.000	0.050	-
15	हरीराम श्यामलाल पिता नथू पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	370	0.090	0.000	0.000	0.090	-
16	रवि पिता गनेश पता खजराहरचंद खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	371	0.080	0.000	0.000	0.080	-
17	गनेश गुपाल हरीराम कलाबाई कुवंरबाई छोटीबाई सकीबाई पिता गोला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372	0.040	0.000	0.000	0.020	-
18	उमाशंकर पिता गोविन्द लोधी पता सा० खुरई भूमि स्वामी	396	0.060	0.000	0.000	0.010	-
19	रामशरण पिता श्यामलाल चेन सींग पिता खिलानसींग भैया लाल सूरत तुलसीराम पिता सुक्के मुल्ला मथरा भूमि स्वामी पिता निरपत भगवानसींग पिता मानसींग सा. देह भूमि स्वामी	398	0.160	0.000	0.000	0.110	-
20	साधु उर्फ रूपसींग पिता मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	399	0.060	0.000	0.000	0.030	आम-1, जामुन-1 महुवा-1, कोहा-1 खजूर-4
21	उमेशकुमार पिता वशीधर पता सा. देह भूमि स्वामी	557	0.020	0.000	0.010	0.000	निरंक
22	प्रकाश पिता बंशीधर जाति मिश्रा पता खजराहरचंद खुरई सागर भूमि स्वामी	558	0.190	0.050	0.000	0.000	बेर-4, बबूल-2 वाँसभिरा-2
		559/1	0.100	0.020	0.000	0.000	-
23	विकास पिता प्रकाश पता सा०देह भूमि स्वामी	559/2	0.260	0.050	0.000	0.000	बेर-1, जामुन-2 बबूल-1, खजूर-1
24	रामसींग पिता छोटेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	560/1	0.220	0.210	0.000	0.000	आम-1, बेर-2 खजूर-2

25	सुमतरानी वेवा बाबूलाल गोविंद भैरो निरन प्रदुम्भ अनीता जानकी भागवती पिता बाबूलाल पूजा आरती ना वा पिता बाबूलाल पालक माँ सुमतरानी पता सा. देह भूमि स्वामी	560/2	0.220	0.200	0.000	0.000	आम-13, अमरुद-10 जामुन-2, बेर-5 वेल-1, श्शूलबबूल-7 नीम-2, रूसल्ला-4 यूकेलिपटिस-1 वॉसप्रिरा-3 छेवला-2, कोहा-2 खजूर-17, इमली-1
26	लाखनसिंह पिता श्यामलाल यादव पता सा शिवाजी वार्ड खुरई भूमि स्वामी	562/1	0.020	0.000	0.020	0.000	-
		563	0.300	0.290	0.000	0.000	-
		625/1	2.230	0.660	0.000	0.000	आम-1
		625/2/2	0.280	0.040	0.000	0.000	-
27	मनोज पिता संतोष खरे पता खजराहरचंद खुरई सागर 1/2 भाग मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संजय पिता संतोष खरे पता खजराहरचंद खुरई सागर 1/2 भाग मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	565	0.050	0.000	0.050	0.000	बबूल-1 खजूर-1
28	लक्ष्मी मिश्रा पत्नी प्रकाश मिश्रा जाति ब्राह्मण पता खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	566/2	0.170	0.000	0.010	0.000	-
29	अमररसींग पिता जसवन्त सिंह लोधी सा. देह भूमि स्वामी	567	0.220	0.050	0.000	0.000	बेर-2
30	प्रदीप नावा० पिता व पालक रामबाबू सा देह भूमि स्वामी	625/2/1	0.600	0.040	0.000	0.000	-
31	केदारसींग पिता मुल्ले पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	626	1.100	0.010	0.000	0.000	-
	योग	37	10.790	3.590	0.330	0.440	

झूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

स.क्र.	वर्तमान आमिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	रकवा	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवर्तों का विवरण	धारा 11 के पूर्ववर्तीन वर्ष से लगातर निवास है अथवा नहीं
					झोपड़ी/ कच्चा कबेल/ टिनशेड/ पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विकास मिश्रा पिता प्रकाश मिश्रा बगैरह	342	0.160	खिलान पिता गनेश कुशवाहा	दीवार पथर+मिट्टी की, छत लकड़ी+खप्पर, फर्श कच्चा	13.68	निरंक	हाँ
					दीवार पथर की+मिट्टी की, छत नाटे+पाटे, फर्श कच्चा	13.68		
					दीवार पथर मिट्टी की, छत नाटे पाटे, फर्श कच्चा	9.20		

					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत टीनसेडकी, फर्श कच्चा	15.41		
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे पाटे, फर्श कच्चा	9.12		
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत खप्पर की, फर्श कच्चा	16.72		
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत टीनसेठ की, फर्श कच्चा	38.54		
					शौचालय पक्का	1.44		
2					निरंक	0.00	पप्पू पिता खिलान कुशवाहा	हाँ
3					निरंक	0.00	राकेश पिता खिलान कुशवाहा	हाँ
					योग :-	117.79		
4	विकास मिश्रा पिता प्रकाश मिश्रा बगैरह	342	0.16	नारायण पिता गनेश कुशवाहा	दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे पाटे, फर्श कच्चा	33.90	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत खप्पर की, फर्श कच्चा	38.38		
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे पाटे, फर्श कच्चा	33.33		
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत टीनसेठ की, फर्श कच्चा	12.00		
					पन्नी की झोपड़ी	6.80		
					शौचालय	1.44		
					शौचालय	1.44		
5					निरंक	0.00	नीतेश पिता नारायण	हाँ
6					निरंक	0.00	पप्पू पिता नारायण	हाँ
7					निरंक	0.00	मनोज पिता नारायण	हाँ
					योग :-	127.29		
8	काशीबाई बेवा रामकिशन बगैरह	350/1	0.200	रामसेवक पिता प्यारेलाल	लकड़ी+पन्नी की गौशाला	10.80	निरंक	हाँ
					छत लोहे का टीनसेड, फर्श कच्चा	36.18		
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी+ पन्नी+खप्पर की, फर्श कच्चा	15.66		
					शौचालय	1.44		
					शौचालय	1.44		
9					निरंक	0.00	रोहित पिता रामसेवक रैकवार	हाँ
					योग :-	65.52		

10	शासकीय आबादी	186	0.650	रविशंकर पिता दुर्गाप्रसाद रैकवार	दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा	27.69	निरंक	हाँ
					शौचालय	1.44		
					योग	29.13		
11	शासकीय आबादी	186	0.650	दुर्गा पिता बाबूलाल रैकवार	दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा	33.20	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा	25.73		
					निरंक	0.00		
					योग	58.93		
13	शासकीय आबादी	186	0.650	विशाल पिता उमेश मिश्रा	दीवाल पथर, मिट्टी की, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला	13.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर, मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।	23.76		
					दीवाल पथर, मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।	20.46		
					शौचालय	2.88		
					योग	60.10		
14	शासकीय आबादी	186	0.650	उमेश पिता वंशीधर मिश्रा	दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श पक्का।	18.72	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की, मिट्टी छत सीमेंट सीट फर्श पक्का।	16.12		
					योग	34.84		
15	शासकीय आबादी	186	0.650	अमर सिंह लोधी, पिता जसवंत सिंह लोधी	दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।	37.62	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।	15.30		
					निरंक	0.00		
					योग	52.92		
17	शासकीय आबादी	186	0.650	चंद्रभान लोधी पिता जसवंत सिंह लोधी	दीवाल ईट की, छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा।	37.24	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।	10.56		
					शौचालय	5.46		
					योग	53.26		
18	शासकीय आबादी	186	0.650	नरेश कुशवाहा पिता मनीराम कुशवाहा	दीवाल पथर, मिट्टी की, छत खपरा पन्नी फर्श कच्चा।	29.52	निरंक	हाँ
					कच्चा कुआं पेयजल उपयोग हेतु	0.00		
					योग	29.52		
19	शासकीय आबादी	186	0.650	राजाभाई पिता मनीराम कुशवाहा	दीवाल पथर, मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा।	67.60	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर, मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा दहलान।	20.00		
					लकड़ी की गौशाला	5.55		
					लकड़ी का घर	4.95		
					आवासीय दहलान ओपन	6.00		
					नहानी लकड़ी पन्नी की	4.60		
					योग	108.70		

20	शासकीय आबादी	186	0.650	गेंदारानी पति मनीराम कुशवाहा प्रदीप नेतराम पिता मनीराम	दीवाल पत्थर की, छत गटर फर्शी फर्श पक्का। दीवाल पत्थर मिटटी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का। दहलान लकड़ी पन्नी की दीवाल पत्थर मिटटी की, छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा गौशाला। शौचालय	30.81 15.01 10.71 17.16 1.44	निरंक	
21					निरंक	0.00	प्रदीप पिता मनीराम कुशवाहा	
22					निरंक	0.00	नेतराम पिता मनीराम कुशवाहा	
					योग	75.13		
23	शासकीय चारागाह	187	0.210	प्रभा कुशवाहा पति प्रकाश कुशवाहा	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा। दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान। पक्का शौचालय	20.00 13.00 1.44	निरंक	हाँ
24					निरंक	0.00	नीतेश कुशवाहा	हाँ
25					निरंक	0.00	पूर्णे कुशवाहा	हाँ
					योग	34.44		
26	शासकीय चारागाह	187	0.210	रामकुमार काढी पिता लालचंद काढी	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा। दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा किचिन। दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान। लकड़ी पन्नी की गौशाला। पत्थर की बाऊड़ीबाल कच्ची	26.80 7.54 9.88 21.75 6.72	निरंक	हाँ
27					निरंक	0.00	राधारानी पति लालचंद काढी	हाँ
					योग	72.69		
28	शासकीय चारागाह	187	0.210	परमानंद पिता घनश्याम चढार	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा। दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला। नहानी ओपन कच्ची। पक्का शौचालय	24.57 15.12 2.25 1.44	निरंक	हाँ
					योग	43.38		
29	शासकीय चारागाह	187	0.210	रघुवीर पिता घनश्याम चढार	दीवाल इंट की छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा।	21.46	निरंक	हाँ
30					निरंक	0.00	अभिषेक चढार पिता रघुवीर चढार	हाँ
31					निरंक	0.00	वीकेश पिता रघुवीर चढार	हाँ
					योग	21.46		

32	शासकीय चारागाह	187	0.210	मोहन पिता प्यारेलाल रैकवार	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा।	7.84	निरंक	हाँ
33					निरंक	0.00	आशीष रैकवार पिता मोहनलाल रैकवार	हाँ
					योग	7.84		
34	शासकीय चारागाह	187	0.210	अमित कुमार पिता मोहनलाल रैकवार	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा। दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान।	30.24	निरंक	हाँ
					योग	44.18		
35	शासकीय चारागाह	187	0.210	अभिषेक पिता मोहनलाल रैकवार	दीवाल ईट की छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा। पक्का शौचालय	39.90	निरंक	हाँ
					योग	41.34		
36	शासकीय चारागाह	187	0.210	बलराम पिता घनश्याम कुर्मी	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान। दीवाल ईट की छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा। पक्का शौचालय	37.20	निरंक	हाँ
					योग	69.34		
37	शासकीय चारागाह	187	0.210	नारायण पिता बलराम कुर्मी	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा। दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान भूसाधर।	23.04	निरंक	हाँ
					योग	55.08		
38	शासकीय चारागाह	187	0.210	देवेन्द्रसिंह कुर्मी पिता बलराम कुर्मी	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी खपरा की, फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा दहलान। शौचालय	47.84	निरंक	हाँ
					योग	84.54		
39	शासकीय चारागाह	187	0.210	देवेन्द्र पिता जवाहरलाल	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का। शौचालय फाउण्डेशन	50.15	निरंक	हाँ
					योग	90.05		
40	शासकीय चारागाह	187	0.210	नीलेश पिता जगदीश कुशवाहा	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा। दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा दहलान। लकड़ी पन्नी की गौशाला।	15.86	निरंक	हाँ
					योग	68.49		

41	शासकीय चारागाह	187	0.210	जगदीश पिता सीताराम कुशवाहा	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।	24.92	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।	24.03		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गोशाला।	21.90		
					शौचालय	2.55		
					निरंक	0.00		मीराबाई पति सीताराम
					योग	73.40		
42		187	0.210	लक्षण पिता सीताराम कुशवाहा	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा।	14.76	निरंक	हाँ
					दीवाल इंट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा दहलान।	8.75		
					दीवाल लकड़ी पन्नी, छत पन्नी की।	12.25		
					निरंक	0.00		शिवकुमार पिता लक्षण कुशवाहा
					योग	35.76		
43	शासकीय चारागाह	187	0.210	रमेशर पिता सीताराम कुशवाहा	दीवाल इंट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा भूसाघर।	16.74	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा।	23.56		
					दीवाल इंट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा दहलान।	12.81		
					दीवाल लकड़ी पन्नी की, छत लकड़ी पन्नी की, फर्श कच्चा, गोशाला।	24.30		
					पक्का शौचालय	1.44		
					योग	78.85		
44	शासकीय चारागाह	187	0.210	रमेशर पिता सीताराम कुशवाहा	दीवाल इंट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा भूसाघर।	16.74	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा।	23.56		
					दीवाल इंट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा दहलान।	12.81		
					दीवाल लकड़ी पन्नी की, छत लकड़ी पन्नी की, फर्श कच्चा, गोशाला।	24.30		
					पक्का शौचालय	1.44		
					योग	45.60		
45	शासकीय चारागाह	200	0.200	गोविन्द पिता बाबूलाल लोधी	दीवाल पत्थर की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा।	27.52	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट, फर्श कच्चा।	16.64		
					शौचालय	1.44		
					योग	45.60		
46	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	सुजान पिता दमोदर सेन	दीवाल इंट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	22.78	निरंक	हाँ
					दीवाल इंट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	18.76		
					दीवाल इंट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	7.29		
					नहानी दीवाल इंट की छत शेष।	3.52		
					योग	52.35		

47	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	सोहन सेन पिता दमोदर सेन	दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे खपरा, फर्श कच्चा।	25.52	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	14.04		
					पक्का शौचालय	1.44		
					शंकर जी का चबूतरा पक्का।	3.61		
					दीवाल पत्थर की बाऊड़ीबाल	3.15		
					योग	47.76		
48	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	महेश सेन पिता दमोदर सेन	दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	25.52	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	14.63		
					दीवाल मिट्टी की बाऊड़ीबाल।	14.85		
					योग	55.00		
49	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	नंदराम पिता पूरनलाल प्रजापति	दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	14.64	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा।	25.32		
					दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	17.39		
					दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा गौशाला।	26.97		
					पत्थर की बाऊड़ीबाल कच्ची	13.20		
					पक्का शौचालय	1.44		
					योग	98.96		
50	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	रामबाबू पिता जगन आहिरवार	दीवाल ईट छत लकड़ी की पाटे खपरा फर्श कच्चा।	25.50	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान।	15.98		
					दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा।	8.40		
					दीवाल मिट्टी की पन्नी की गौशाला।	6.12		
					शौचालय पक्की	1.44		
					योग	57.44		
51	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	राजकुमार पिता निरनसिंह यादव	दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा।	27.20	निरंक	हाँ
					शौचालय पक्की	1.44		
					पत्थर की बाऊड़ीबाल कच्ची	28.56		
					योग	57.20		
52	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	राजाभाई पिता निरनसिंह	दीवार पत्थर मिट्टी की लकड़ी का घर गौशाला	24.18	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी खपर पन्नी की, फर्श कच्चा	12.00		
					योग	36.18		

53	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	लवकुश पिता कमल प्रसाद	दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा।	36.86	निरंक	हाँ
					दीवार पथर की छत टीनशेड फर्श कच्चा।	7.44		
					लकड़ी की छत पन्नी की गौशाला।	9.80		
					शौचालय	3.30		
					दीवाल पथर की छत टीनशेड फर्श कच्चा।	11.04		
					योग	68.44		
54	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	बारे पिता घसीटे अहिरवार	दीवाल ईट की पकड़ी छत पाटे की फर्श कच्चा।	18.50	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की, लकड़ी का घर।	10.20		
					शौचालय	1.44		
					निरंक	0.00		
					योग	30.14		
55	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	प्रताप पिता बारे अहिरवार	दीवार पथर की छत टीनशेड पन्नी फर्श कच्चा।	14.10	निरंक	हाँ
					योग	14.10		
56	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	गोर्खन पिता बारे अहिरवार	दीवाल ईट की पकड़ी छत पाटे की फर्श कच्चा।	28.62	निरंक	हाँ
					योग	28.62		
57	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	घनश्याम पिता बरेलाल कुशवाहा	दीवाल ईट की पकड़ी छत पाटे की फर्श कच्चा।	30.40	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पकड़ी छत पाटे की फर्श कच्चा दहलान।	18.24		
					दीवाल ईट की पकड़ी छत पाटे की फर्श कच्चा भूसाधर।	17.20		
					लकड़ी की छत पन्नी की गौशाला।	27.00		
					गैलरी मकान की।	7.60		
					दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा।	20.90		
					दीवाल ईट की पकड़ी छत पाटे की फर्श कच्चा।	3.24		
					पकड़ा शौचालय	1.44		
					निरंक	0.00		
					निरंक	0.00		
58					योग	126.02		
59					योग	102.44		
60	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	राम सिंह पिता छोटेलाल लोधी	दीवाल पथर की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान।	42.05	निरंक	हाँ
					दीवार पथर की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान।	26.04		
					दीवाल गिट्टी की पीलर।	18.91		
					दीवाल ईट की मिट्टी, पाटे की फर्श कच्चा।	14.00		
					पकड़ा शौचालय	1.44		

61	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	बहादुर सिंह पिता रामसिंह लोधी	दीवाल ईंट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा	28.50	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर की छत टीनसेड फर्श कच्चा दहलान	23.75		
						योग	52.25	
62	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	खड़क सिंह पिता रामसिंह लोधी	दीवाल ईंट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा	22.78	निरंक	हाँ
					दीवाल ईंट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा दहलान	12.73		
					शौचालय	1.44		
					योग	36.95		
63	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	काशीराम पिता प्रेम अहिरवार	दीवाल ईंट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा	24.60	निरंक	हाँ
					दीवाल ईंट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा	14.40		
					दीवाल ईंट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा	30.26		
					योग	69.26		
					दीवाल पथर की छत टीनसेड फर्श कच्चा	16.56	निरंक	हाँ
64	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	राजा अहिरवार पिता प्रेम अहिरवार	दीवाल पथर की छत टीनसेड फर्श कच्चा	32.80		
					शौचालय	1.44		
					योग	50.80		
65	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	कल्लू पिता प्रेमनारायण रैकवार	दीवाल पथर मिट्टी छत पन्नी की गौशाला	10.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	27.20		
					दीवाल पथर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा किचिन	10.26		
					दीवाल पथर मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा गौशाला	4.94		
					योग	52.40		
66	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	जयराम पिता मंगू आदिवासी	दीवाल ईंट की छत पटिया शेष फर्श कच्चा	29.92	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की छत टीनसेड फर्श कच्चा	24.64		
					दीवाल पथर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	17.60		
					दीवाल ईंट की छत शेष	23.76		
					शौचालय	1.44		
						योग	97.36	
67	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	गोलू पिता जयराम आदिवासी	दीवाल पथर की मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	22.04	निरंक	हाँ
						योग	22.04	

68	शासकीय चारागाह	230	22.420	गनपत पिता नरथु आदिवासी	दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	28.47	निरंक	हाँ
					दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान	16.06		
					लकड़ी पन्नी की गौशाला	11.47		
					शौचालय	1.44		
					नहानी	2.00		
					योग	59.44		
69	शासकीय चारागाह	230	22.420	संतोष पिता बलदेव लोधी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	23.10	निरंक	हाँ
					लकड़ी पन्नी की गौशाला	12.60		
					शौचालय	1.44		
					योग	37.14		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	18.45		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	13.50		
70	शासकीय चारागाह	230	22.420	वीरन पिता बलदेव लोधी	दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	12.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की नहानी कच्ची	5.20		
					शौचालय	1.95		
					योग	51.10		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	42.90		
					योग	42.90		
72	शासकीय चारागाह	230	22.420	गुड्डु पिता सिरदार आदिवासी	दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	19.50	निरंक	हाँ
					दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	9.50		
					शौचालय	1.44		
					योग	30.44		
					दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	8.00		
					दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	15.99		
73	शासकीय चारागाह	230	22.420	जीतेन्द्र पिता गुड्डु आदिवासी	दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	8.20	निरंक	हाँ
					दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी दहलान	32.19		
					योग	41.46		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी नाठै पाटे की फर्श कच्चा दहलान	40.02		
					शौचालय	22.40		
					योग	34.72		
75	शासकीय चारागाह	230	22.420	पचो पति मनू आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	34.72	निरंक	हाँ
					योग	22.40		
76	शासकीय चारागाह	230	22.420	रघुवीर पिता मनू आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	22.40	निरंक	हाँ
					योग	22.40		

77	शासकीय रास्ता	230	22.420	राजू पिता मनू आदिवासी	दीवाल पथर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	13.02	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	21.70		
					दीवाल पथर मिट्टी की छत खपड़ा की फर्श कच्चा	9.30		
					घर पनी का	4.29		
					शौचालय	1.44		
					योग	49.75		
78	शासकीय रास्ता	296	0.820	हाकम सिंह पिता रामसीग लोधी	दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा	24.18	निरंक	हाँ
					दीवाल लकड़ी पनी छत लकड़ी पनी की फर्श कच्चा दहलान	16.74		
					योग	40.92		
79	शासकीय रास्ता	296	0.820	धीरज सिंह लोधी पिता छोटेलाल सिंह लोधी खुमान पिता धीरजसिंह लोधी	दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा	34.65	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा दहलान	21.78		
					दीवाल ईट पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	14.19		
					दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा	14.19		
					दीवाल लकड़ी पनी छत लकड़ी पनी की फर्श कच्चा	9.45		
					नहानी	4.00		
					शौचालय	1.44		
					निरंक	0.00		
80					योग	99.70		
81	शासकीय आबादी गावंगन	360	0.270	सूरत पिता चंदनसिंह रैकवार कीरत, पिता चंदनसिंह रैकवार	दीवाल पथर मिट्टी की छत टीनसेड फर्श कच्चा	28.08	निरंक	हाँ
					दीवाल पथर मिट्टी की छत छत सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा	18.72		
					दीवाल ईट की छत पटिया शेष क्षतिग्रस्त	11.90		
					योग	58.70		
82	शासकीय आबादी गावंगन	511	2.070	रमेश पिता बंशीधर मिश्रा	दीवाल पथर मिट्टी की छत नाटे पाठे फर्श कच्चा	17.00	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	32.76		
					दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	21.00		
					कुआं पक्का-1	0.00		
					निरंक	0.00		
83					योग	70.76		

84	विकास मिश्रा पिता प्रकाश मिश्रा एवं अन्य	342	0.160	कमल पिता गनेश कुशवाहा	दीवार पथर मिट्टी की, छत नाटे+पाटे, फर्श कच्चा	17.55	निरंक	नहीं
					दीवार पथर+मिट्टी की, छत लकड़ी+खप्पर, फर्श कच्चा	27.95		
					दीवार पथर+मिट्टी की, छत लकड़ी+खप्पर, फर्श कच्चा	16.53		
					योग :-	62.03		
85	आनन्दकुमार पिता विष्णु प्रसाद पता सा०देह भूमिस्वामी	12/2	0.800	आनन्द पिता विष्णुप्रसाद	मंदिर पक्का, चबूतरा पक्का, फर्श पक्का	6.96	निरंक	नहीं
					योग :-	6.96		
86	शासकीय आबादी	186	0.650	भागीरथ पिता लाडले कुर्मी	दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा	17.02	निरंक	नहीं
					योग	17.02		
87	शासकीय आबादी	186	0.650	राजेन्द्र पिता जसवन्त सिंह लोधी	दीवाल पथर, मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा।	25.20	निरंक	नहीं
					दीवाल पथर, मिट्टी की, छत पाटे+टीनशेड फर्श कच्चा।	18.90		
					योग	44.10		
88	शासकीय चारागाह	187	0.210	हेमंत पिता रघुवीर	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा।	29.23	निरंक	नहीं
					दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान।	17.38		
					पक्का शौचालय	1.44		
					योग	48.05		
89	शासकीय चारागाह	187	0.210	महेश पिता लक्ष्मीनारायण चढार	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा।	16.34	निरंक	नहीं
					योग	16.34		
90	शासकीय चारागाह	187	0.210	डेलन पिता लक्ष्मी नारायण चढार	दीवाल लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा।	21.06	निरंक	नहीं
					योग	21.06		
91	शासकीय चारागाह	187	0.210	मोहन सिंह दांगी पिता कल्याण सिंह दांगी	दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा भूषाघर।	45.22	निरंक	नहीं
					योग	45.22		
92	शासकीय चारागाह	187	0.210	कल्याण सिंह पिता मंशाराम दांगी	दीवाल ईट की छत लकड़ी अंग्रेजी खपरा फर्श कच्चा।	37.24	निरंक	नहीं
					फालडेशन ईट की।	25.48		
					योग	62.72		
93	शासकीय चारागाह	187	0.210	गजेन्द्र सिंह दांगी पिता सुमेर सिंह दांगी	दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।	26.91	निरंक	नहीं
					योग	26.91		
94	शासकीय चारागाह	187	0.210	महेश पिता सुमेरसिंह दांगी	गुमटी दुकान	1.20	निरंक	नहीं
					लकड़ी की दहलान	15.60		
					योग	16.80		

95	शासकीय चारागाह	187	0.210	बीरन पिता मलखान लोधी	दीवाल ईट की, मिट्टी की छत टीनसेड, फर्श कच्चा भूषाघर।	19.84	निरंक	नहीं
					योग	19.84		
96	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	बदनसिंह पिता फूलसिंह जाति नौनाचंगारी	पी.एम.आवास दीवाल ईट की छत शेष। पीलर पक्का आर. सी.सी. फाउण्डेशन पथर की नीव जमीन के बराबर।	20.25 4.56 3.99 38.72	निरंक	नहीं
					योग	67.52		
97	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	लक्ष्मीनारायण पिता हल्कर्इ चडार	फाउण्डेशन पथर की नीव जमीन के बराबर।	38.72	निरंक	नहीं
					योग	38.72		
98	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	बंटी पिता खुमान चडार	दीवाल ईट का छत शेष, फर्श कच्चा। दीवाल ईट का छत शेष, फर्श कच्चा। पीलर पक्का आर. सी.सी.	19.80 5.04 4.41	निरंक	नहीं
					योग	29.25		
99	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	दीपक अहिरवार पिता प्रेम अहिरवार	पी.एम. आवास मकान पक्का	34.56	निरंक	नहीं
					योग	34.56		
100	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	हीरालाल पिता शिखू	पी.एम. आवास मकान पक्का फर्श कच्चा	30.15	निरंक	नहीं
					योग	30.15		
101	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	रामगोपाल पिता निर्भय सिंह यादव	पक्का फाउण्डेशन	14.00	निरंक	नहीं
					योग	14.00		
102	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	रघुवीर पिता कल्लू	दीवाल पथर मिट्टी की छत टीनसेड की फर्श कच्चा। दीवाल पथर मिट्टी की छत नाटे पाठे फर्श कच्चा दहलान	15.75 9.45	निरंक	नहीं
					योग	25.20		
103	शासकीय चारागाह	201/1	10.240	कमलेश राय पिता हरिया प्रसाद राय	छत गाटर फर्शी छत टीन सीट पक्का शौचालय	65.52 47.04 6.93	निरंक	नहीं
					योग	119.49		
104	शासकीय चारागाह	230	22.420	(मंदिर) पातालिया सरकार सेवा समिति	पक्का मंदिर दीवाल पक्की छत आर. सी. सी. पक्का फाउण्डेशन कच्चा पथर का दीवाल पक्की छत आर. सी. सी. फर्श पक्का दीवाल ईट की छत टीनसेड फर्श कच्चा दीवाल ईट पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	4.84 46.86 23.04 4.41 37.44 46.80	निरंक	नहीं

					शौचालय	4.64		
					चबूतरा पक्का	24.00		
					चबूतरा पक्का	5.12		
					नहानी पक्की	1.82		
					मंदिर पक्का चबूतरा	21.62		
					रामलीला का कच्चा चबूतरा	56.26		
					चबूतरा पक्का	1.82		
					गथ स्थल चबूतरा	90.25		
					मंदिर हनुमान जी का	1.21		
					नलकूप-1	0		
					योग	370.13		
105	शासकीय चारागाह	230	22.420	छोटेलाल पिता निर्मित सिंह लोधी	दीवाल पथर मिट्टी की छत लकड़ी की नाटे पाटे टीनसेड फर्श कच्चा भूसाधर	39.14	निरंक	नहीं
					दीवाल लकड़ी पन्नी छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला	24.72		
					योग	63.86		
106	शासकीय चारागाह	22.420	संजय पिता खुशालीराम रावत		दीवाल इट की पक्की छत सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा	21.08	निरंक	नहीं
					छत लोहे का टीनसेड फर्श कच्चा दहलान	17.68		
					दीवाल लकड़ी छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा	30.00		
					दीवाल लकड़ी छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा	20.40		
					दीवाल पथर मिट्टी की छत लकड़ी नाटे पाटे की फर्श कच्चा	32.16		
					योग	121.32		
107	शासकीय चारागाह	343	0.020	क्रपाराम पिता बारेलाल कुशवाहा	पक्का शौचालय	1.44	निरंक	नहीं
					योग	1.44		
					महायोग :-	4809.59		

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान

नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सूजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति—समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर—परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक समा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 है, में से रकवा 13.71 है, भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक—0102अ/19(3) वर्ष 2019–20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 49, 52 रकवा क्रमशः 7.130, 0.930 है, भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनातर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक—एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू—खण्ड आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०९/०५/2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अधिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-404-भू-अर्जन-23

सीधी, दिनांक 3 मई 2023

क्षेत्रिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के आगे (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के आगे (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुरुषास और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी क्षेत्रिक इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनियोगित भूमि का कोई संक्षेपहार नहीं करेगा, या कोई संक्षेपहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यस्य शासन इसके द्वाय अनुसूची के आगे (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वाय दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के क्षयापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा गूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेलिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला	सीधी
(ख) तहसील	चुरूट
(ग) ग्राम	ठिया
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	ठिया
(इ) नियोजित भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	रकवा 0.919 हेतु

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हेतु में	अर्जित रकवा हेतु में	धारा-12 के अंतर्गत ग्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	1360/2/1	0.100	0.068	उपमुख्य अधिकारी (निर्माण) परियोजना मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	1360/2/2/1	0.612			
3	1360/2/2/2	0.031			
4	1361/1/1	0.030	0.680		
5	1361/1/2/1/1	0.230			
6	1361/1/2/2	0.005			
7	1361/1/2/3	0.005			
8	1361/3/1/2	0.010			
9	1361/1/4/3	0.005			
10	1361/1/5	0.010			
11	1361/1/6	0.010			
12	1361/1/7	0.020			
13	1361/1/8/1/1/1	0.180			
14	1361/1/8/1/1/2	0.010			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हेठो में	अर्जित रकवा हेठो में	थारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
15	1361/1/9/1	0.010		उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
16	1361/1/9/2	0.020			
17	1361/1/10	0.030			
18	1361/1/11	0.015			
19	1361/1/12	0.015			
20	1361/1/13	0.010			
21	1361/1/14	0.010			
22	1361/1/15	0.010			
23	1361/1/16	0.010			
24	1361/1/17	0.010			
25	1361/2/1/1/1	0.040			
26	1361/2/1/2/1	0.056			
27	1361/2/1/2/2	0.057			
28	1361/2/1/2/3	0.057			
29	1361/2/2	0.240			
30	1362/1	0.450	0.003		
31	1362/2	0.400			
32	1373	0.140	0.006		
33	1395/1	0.230	0.036		
34	1395/2/1	0.040			
35	1746/1/1	0.236			
36	1746/2	0.510	0.126		
निजी भूमि का योग		3.854	0.919		

भूमि का नवशा (फ्लान) उपस्थित अधिकारी चुरहट/यमपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-406—भू—अर्जन—2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राथिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला
- (ख) तहसील
- (ग) ग्राम
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
- (ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी
रामपुर नैकिन
मुर्तला पवाई
00022 मुर्तला
रकवा 0.972 हेठो

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हेठो में	अर्जित रकवा हेठो में	धारा-12 के अंतर्गत प्राथिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	11/1/1/1	0.103	0.200	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) परिचम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	11/1/1/2	0.053			
3	11/1/1/3	0.059			
4	11/1/2	0.004			
5	11/1/3	0.006			
6	11/1/4	0.006			
7	11/1/5	0.006			
8	11/1/6	0.006			
9	11/1/7	0.004			
10	11/1/8	0.006			
11	11/1/9	0.004			
12	11/1/10	0.004			
13	11/1/11	0.004			
14	11/1/12	0.004			

क्रमांक	संसरा नम्बर	कुल रकवा डे० में	अर्जित रकवा डे० में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
15	11/1/13	0.004		उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
16	11/1/14	0.004			
17	11/1/15	0.004			
18	11/1/16	0.004			
19	11/1/17	0.004			
20	11/1/18	0.004			
21	11/1/19	0.004			
22	11/1/20	0.004			
23	11/1/21	0.004			
24	11/2/1/1/1	0.187			
25	11/2/2	0.010			
26	11/3/1/1/1	0.112			
27	11/3/1/1/2	0.004			
28	11/3/1/2	0.004			
29	11/3/1/3	0.004			
30	11/3/1/4	0.004			
31	11/3/1/5	0.004			
32	11/3/1/6	0.004			
33	11/3/1/7	0.004			
34	11/3/1/8	0.004			
35	11/3/1/9	0.004			
36	11/3/1/10	0.004			
37	11/3/2/1	0.035			
38	11/3/2/1/1/2	0.004			
39	11/3/2/2	0.010			
40	11/3/2/3/1	0.006			
41	11/3/2/4	0.012			
42	11/3/2/5	0.004			
43	11/3/2/6	0.004			
44	11/3/2/7	0.010			
45	11/3/2/8	0.010			
46	11/3/2/9	0.010			
47	11/3/2/10	0.010			
48	11/3/2/11	0.010			
49	11/3/2/12	0.006			
50	11/3/2/13	0.006			
51	11/3/2/14	0.006			
52	11/3/2/15	0.004			

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
1	2	3	4	5	6		
53	15	0.040	0.008	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु		
54	16	0.142	0.012				
55	110/1	0.301	0.370				
56	110/2/1/1/1	0.124					
57	110/2/1/2	0.004					
58	110/2/1/3	0.004					
59	110/2/1/4	0.004					
60	110/2/1/5	0.004					
61	110/2/2	0.061					
62	110/2/3	0.061					
63	110/2/4	0.061					
64	110/2/5	0.061					
65	135/2/1	0.119	0.016				
66	135/2/2	0.119					
67	135/2/3	0.119					
68	143/1	0.913	0.274				
69	144/1/2	0.640	0.032				
70	144/1/क	0.108					
71	144/2	0.575	0.060				
72	146/1	0.308					
73	146/2	0.040					
निजी भूमि का योग		4.609	0.972				

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी चुरहट/यामपुर नैकिंब के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-408-भू-अर्जन-2023

चौकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्वाचास और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जबता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेलिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला				सीधी
(ख) तहसील				रामपुर नैकिन
(ग) गाम				आगढांड 43
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर				पठेहरा
(इ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल				रकवा 1.166 हेतु

क्रमांक	छासरा नम्बर	कुल रकवा हेतु में	अर्जित रकवा हेतु में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत ⁵ अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	204/1	0.240	0.090	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	206/1/2/1/1	0.086		मध्य रेलवे जबलपुर	के निर्माण हेतु
3	206/1/2/2/2	0.004			
4	206/1/2/2/3	0.004			
5	206/1/2/4	0.008			
6	206/1/2/5	0.008			
7	206/1/2/6	0.004			
8	206/1/3/1/1	0.094			
9	206/1/3/2	0.020			
10	206/1/3/3	0.008			
11	206/1/3/5	0.008			
12	206/1/4/1/1	0.094			
13	206/1/4/2	0.008			
14	206/1/4/3	0.008			

15	206/1/4/4	0.012		उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	लिलितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
16	206/1/4/5	0.012			
17	206/1/4/6	0.004			
18	206/1/4/7	0.004			
19	206/1/4/8	0.004			
20	206/1/4/9	0.004			
21	206/1/4/10	0.004			
22	206/1/4/11	0.004			
23	206/1/4/12	0.004			
24	206/2/1	0.286			
25	206/2/3	0.004			
26	206/2/4	0.004			
27	206/2/5	0.004			
28	206/2/6	0.004			
29	206/2/7	0.004			
30	206/2/8	0.004			
31	206/2/9	0.004			
32	206/2/10	0.004			
33	206/2/11	0.004			
34	207/1/1/1	0.072	0.472		
35	207/1/2/1	0.131			
36	207/1/2/2	0.004			
37	207/1/2/3	0.004			
38	207/1/2/4	0.004			
39	207/1/2/5	0.004			
40	207/1/2/6	0.004			
41	207/1/2/7	0.004			
42	207/1/2/8	0.004			
43	207/1/2/9	0.008			
44	207/1/2/10	0.004			
45	207/1/2/11	0.004			
46	207/1/2/12	0.004			
47	207/1/2/13	0.004			
48	207/1/2/14	0.004			
49	207/1/2/15	0.004			
50	207/1/3/1/1	0.084			
51	207/1/3/2	0.004			
52	207/1/3/3	0.004			
53	207/1/3/4	0.004			
54	207/1/3/5	0.004			
55	207/1/3/6	0.004			
56	207/1/3/7	0.004			
57	207/1/3/8	0.004			
58	207/1/3/9	0.004			
59	207/1/3/10	0.004			
60	207/1/3/11	0.004			
61	207/1/3/12	0.004			
62	207/1/3/13	0.004			
63	207/1/3/14	0.004			
64	207/1/3/15	0.004			
65	207/1/3/16	0.004			
66	207/1/3/17	0.004			
67	207/1/3/18	0.004			
68	207/1/4/1/1	0.015			
69	208	0.830	0.004		
निजी भूमि का योग		2.228	1.166		

भूमि का बक्शा (प्लान) उपलब्ध अधिकारी चुरुदर/सामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-410—भू—अर्जन—2023

वैकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्वास और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपथारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेलिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला
- (ख) तहसील
- (ग) ग्राम
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
- (ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी	
रामपुर नैकिन	
आमडांड 44	
0028 पटेल्या	
रकवा 0.020 हेठो	

क्रमांक	खसदा नम्बर	कुल रकवा हेठो में	अर्जित रकवा हेठो में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	635/1	0.102			
2	635/2	0.028			
3	635/3	0.028			
4	635/4	0.028			
5	635/5	0.028			
6	635/6	0.028			
7	635/7	0.028			
निजी भूमि का योग		0.270	0.020		

भूमि का बक्षण (प्लान) उपग्रह अधिकारी चुरुचुक/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-412—भू—अर्जन—2023

चौंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्ववास और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विविदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। युज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेलिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधार के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला
- (ख) तहसील
- (ग) गाम
- (घ) पटवारी हल्का का बाम व बम्बर
- (इ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

स्थीरी
रामपुर नैकिन
ममदर
00036 ममदर
रकवा 0.181 हेठो

क्रमांक	असरा बम्बर	कुल रकवा हेठो में	अर्जित रकवा हेठो में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत ⁵ अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	1957	0.120	0.120	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	1961	0.050	0.002		
3	2138	0.200	0.002		
4	2173	0.060	0.057		
निजी भूमि का योग		0.430	0.181		

भूमि का नक्शा (फ्लान) उपर्युक्त अधिकारी चुरुठा/रामपुर बैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-414—भू—अर्जन—2023

चैंकी शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्यासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला		सीधी
(ख) तहसील		रामपुर बैकिन
(ग) ग्राम		मऊ
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	0021 मऊ	
(ड.) बिजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	रकवा 0.317 हेट	

क्रमांक	छासरा नम्बर	अर्जित रकवा हेट में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	2247/1	0.020	सु. ललिता देवी पत्नी राजायम, शिवमूरत पिता	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	2251	0.001	कोदु लाल पिता लोकनाथ बैसवार	
3	2260/1	0.002	वंशरायन प्रसाद पिता पारसनाथ	
4	2266/2/1	0.002	रामकुमार पिता रामभिलन बैसवार	
5	2269/2	0.050	रामकुमार पिता रामभिलन बैसवार	
6	2271/2	0.050	रामकुमार पिता रामभिलन बैसवार	
7	2278	0.002	रामसुन्दर पिता शारदादीन विश्वकर्मा	
8	2290	0.050	मोहनलाल पिता रामकुमार दर्जी	
9	2309	0.032	शिवनाथ पिता हरिशचन्द्र जाति ब्रा.	
10	2343	0.072	अबुज प्रताप सिंह पिता गंगा सिंह	
11	2397	0.032	दद्दी, बाबूलाल, लालमणि, हीरा, मधुरा, जमुना, रामगरीब पिता रामकुमार बैसवार	
12	2445	0.004	राजेश पिता जमुना बैसवार	
बिजी भूमि का योग		0.317		

भूमि का नक्शा (फ्लाउ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर बैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-07-अ-82-2022-23

राजगढ़, दिनांक 15 मई 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-कानरखेड़ी के पम्प हाऊस क्रमांक-02 निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में आंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-02 निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-कानरखेड़ी

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)	
		रकबा	(3)
(1)	(2)		
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक-02 निर्माण में प्रभावित ग्राम-कानरखेड़ी की भूमि की आवश्यकता।	1.988	
	कुल योग :	1.988	

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
1	2	3	4	5
1	अनिलगिर नाबालिग पिता मुरारीगिर संरक्षक माता राममूर्तिबाई पति मुरारीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	30/3/2 28/5	1.086 0.720	0.210 0.040
		कुल 2 किता	1.806	0.250
2	रामेश्वरगिर पिता महताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	31 32	1.316 0.620	0.870 0.460
		कुल 2 किता	1.936	1.330
3	लक्ष्मणगिर पिता नन्हागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/2	0.803	0.100
		कुल 1 किता	0.803	0.100
4	मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/2	0.250	0.050
		कुल 1 किता	0.250	0.050

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (ह.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(ह.में)
5	श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/3	0.101	0.086
		कुल 1 किता	0.101	0.086
6	महेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/4	0.101	0.086
		कुल 1 किता	0.101	0.086
7	विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/5	0.101	0.086
		कुल 1 किता	0.101	0.086
	कुल योग :-	कुल 9 किता	5.098	1.988

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला-राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—05—अ—82—2022—23

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम गुजरखेड़ीखुर्द के लिए ढूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि/आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा—19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 41/4 एवं 50/1 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम गुजरखेड़ीखुर्द

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	36/3	महेन्द्रसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर	1	330.66
2	36/3	श्यामसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर	2	241.94
3	36/3	दयालसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर	3	630.98
4	36/2	सरजनसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर	4	285.79
5	36/2	रामबाबू पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर	5	349.69
6	36/2	गनपतसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर	6	259.24
7	36/2	राजारामसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर	7	189.99
8	36/1	शादीलाल पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर	8	401.80
9	36/1	हरिसिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर	9	185.09
10	36/1	भगतसिंह पिता हरीसिंह जाति गुर्जर	10	95.16
11	36/1	मंगलेश पिता हरीसिंह जाति गुर्जर	11	143.61
12	37/3	बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर	12	187.98
13	37/3	जगदीश पिता अमरसिंह जाति गुर्जर	13	116.64
14	37/3	कन्हैयालाल पिता जगदीशसिंह जाति गुर्जर	14	100.94
15	37/3	जशरथ पिता मदन जाति गुर्जर	15	183.58
16	37/1	भारतसिंह पिता रामरतन जाति गुर्जर	16	208.02
17	37/1	भजनसिंह पिता रामरतन जाति गुर्जर	17	153.03
18	36/2	श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर	18	153.82
19	50/1	कमलसिंह पिता मोरसिंह जाति गुर्जर	19	142.69
20	50/1	मोरसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर	20	722.10

21	50/1	रामेश्वर पिता मोरसिंह जाति गुर्जर	21	204.50
22	50/1	जसमनसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर	22	865.12
23	41/4	नारायणसिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर	23	42.37
24	37/2	संजू पिता कंचनसिंह जाति गुर्जर	24	261.30
25	37/2	कंचनसिंह पिता गंगराम जाति गुर्जर	25	189.16
26	50/1	धीरपसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	26	208.79
27	50/1	जसवंतसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	27	214.81
28	50/1	घनश्यमसिंह पिता गंगराम जाति गुर्जर	28	392.80
29	37/2	बलराम पिता खुशीलाल जाति गुर्जर	29	334.45
30	37/2	रामप्रसाद पिता खुशीलाल जाति गुर्जर	30	390.03
योग :-				8186.07
या.(हे.मे)				0.819

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील सुठालिया के ग्राम मऊ में शासकीय भूमि खसरा नंबर— 1238/1, 1251/1 एवं 1252/1 का कुल रकवा 43.549 है। में से हस्तांतरित रकवा 19.406 है। भूमि न्यायालय कलेक्टर, राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-20(1)/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 एवं ग्राम बड़ाबड़ला के खसरा न 1/5/1 कुल रकवा 121.551 है। में से हस्तांतरित रकवा 40.00 है। भूमि न्यायालय कलेक्टर, राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक— 0002/अ-20(1)/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, व्यावरा को आवंटित की गई है। प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-45(2) अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 23.05.2022 को कराई जाकर सर्वसम्मति से तैयार पुनर्वास नीति कलेक्टर जिला भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ के पत्र क्रमांक 5316/भू-अर्जन राजगढ़ दिनांक 25.05.2022 से आयुक्त कार्यालय भोपाल को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। जिसका सार निम्नानुसार है—

भू-आर्जन अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निमानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मदागताणे / सतिधाणे दी जावेंगी :-

- सहायतावाचक योजना।

 - (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्भित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
 - (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्भित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
 - (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम भजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
 - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय
 - (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष

की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के

स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार ‘पुनर्व्यवस्थापन भत्ता’ दिया जाएगा।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

भू-अर्जन अधिनियम-2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पकड़ी सड़क, मार्ग से जुड़ी

बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

(7) यथेचित पंचायत घर।

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यवितरण प्रसाधन बिन्दु।

(11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यवितरण एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के

गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय।
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र।
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) सुगलिया सिंचाई परियोजनानांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक **15X11** वर्ग मी⁰ का आवासीय भू—खण्ड, भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला—राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-06-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-मज़ के पम्प हाऊस क्रमांक-01 निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-01 निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-मज़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)	
		रकबा	(3)
(1)	(2)		
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक-01 निर्माण में प्रभावित ग्राम-मज़ की भूमि की आवश्यकता।	2.482	
	कुल योग :	2.482	

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
1	2	3	4	5
1	पन्नालाल पिता गंगाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	1060/2	1.056	1.056
	योग:-	1	1.056	1.056
2	गोपाल, महेश धनराज पिता छीतर जाति काढी पता मज़ सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	1068/1	0.850	0.450
	योग:-	1	0.850	0.450
3	प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति काढी पता मज़ सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	1068/2 1069/1	0.176 1.180	0.176 0.375
	योग:-	2	1.356	0.551
4	हीरालाल पिता पन्नालाल जाति लोदी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	1059/1	0.632	0.400
	योग:-	1	0.632	0.400
5	कैलाश पिता पन्नालाल जाति लोदी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	1059/2	0.253	0.025
	योग:-	1	0.253	0.025
	कुल योग :-	कुल 6 किटा	4.147	2.482

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की विधिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला-राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर,

सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 12 अप्रैल 2023

**न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का
अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)**

प्ररूप – ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक /01/बी-121/2019-20, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का- पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक		उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
			(1)	(2)	(3)	(4)
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / पोंगरी		447/2/1		0.050
				443/1		0.163
				444		0.028

प्ररूप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक /01/बी-121/2021-22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का-सेंदुरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में भेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायकर्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / सेंदुरी	536/1/k, 536/1/kha/1, 536/1/kha/2, 536/1/ga/1, 536/1/ga/2, 536/1/ga/3, 536/1/ga/4, 536/1/ga/5, 536/2	0.180
			456/1/1, 456/1/2, 456/1/3, 456/2/ka, 456/2/kha, 456/2/ga, 456/3/ka, 456/3/kha	0.068
			434/1/1, 434/1/2, 434/1/3, 434/1/4, 434/2	0.230
			273	0.050
			236/1/k, 236/1/kh, 236/2, 236/3/1, 236/3/2, 236/4/1, 236/4/2, 236/4/3, 236/4/4, 236/4/5	0.480
			285/1/k, 285/1/kh, 285/1/ga, 285/2 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13	0.142
			277/669/1, 277/669/2, 277/669/3	0.252
			485	0.060
				0.380

प्ररूप—ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक /02/बी-121/2021-22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का— नवलपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राइजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायकृत राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकता।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/ नवलपुर	1558/1, 1558/2 942/2 1250/3, 1250/5/1, 1250/5/2, 1250/6, 1250/7, 1250/8, 1250/9/1, 1250/9/2, 1250/10 1281/1, 1281/2 1194/1/1, 1194/1/2, 1194/2/1, 1194/2/2/1/1/1, 1194/2/2/1/1/2, 1194/2/2/1/2, 1194/2/2/2, 1194/3, 1194/4 1376/2 1447 616 617 21/1, 21/2 58 57 681 936 1540 1532 59	0.318 0.050 0.158 0.096 0.170 0.034 0.042 0.094 0.092 0.260 0.035 0.048 0.170 0.120 0.074 0.084 0.098

प्ररूप—ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक /03/बी-121/2021-22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नंदना, पटवारी हल्का— हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राइवेट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	नंदना / हरदी	520/1, 520/2/1, 520/2/2	0.055

प्ररूप—ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक /04/बी-121/2021-22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का— पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	मैका / पोंगरी	155	0.695

प्ररूप—ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक /05/बी-121/2021-22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का— पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राइवेट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायकर्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / पोंगरी	71/1	0.090

प्ररूप—ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक / 06 / बी—121 / 2021—22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का— कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रायोक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायकृत राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर / कंचनपुर	63/1/ka, 63/1/kha, 63/1/ga, 63/2, 63/3, 63/4 33/1, 33/2/ka, 33/2/ga	0.185 0.066
			59/2, 59/3/ka, 59/3/kha, 59/3/ga/1, 59/3/ga/2, 59/3/ga/3, 59/3/gha, 59/4, 59/5/1, 59/5/2, 59/5/3, 59/5/4, 59/5/5, 59/6, 59/7	0.020
			62	0.140
			447/1, 447/2, 447/3	0.040

प्ररूप—ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक /07/बी-121/2021-22, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हर्री, पटवारी हल्का— हर्री, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राइवेट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	हर्री / हर्री	423/1	0.120

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त।

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग निवाड़ी, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश
क्र.-000-अ-82-NH-2023-24

निवाड़ी, दिनांक 25 अप्रैल 2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना

म0प्र0 भासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रं0 एफ-43/15/2021,
19/यो-3468 भोपाल दिनांक 18/11/2021 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग
टीकमगढ़ का पत्र क्रमांक 1833/तक/दिनांक 12/09/2022 द्वारा सूचित किया गया है कि
रेलवे स्टेशन निवाड़ी चुरारा मार्ग से मुडारा एन एच 39 तक वायपास मार्ग के निर्माण के लिए
निजी भूमि की आवश्यकता है।

उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार निवाड़ी से जांच प्रतिवेदन लिया गया
तहसीलदार निवाड़ी के प्रतिवेदन अनुसार चुरारा, मुडारा वायपास रोड के अंतर्गत 2.066 हेक्टेयर
भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है लोक प्रयोजन भू-अर्जन प्रस्तावित किया है।

क्रमांक	खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	किसान का नाम
1	151/1	0.130	0.110	राजेश पिता बटनलाल गुप्ता हिस्सा 5/18 अमित तनय शिवराम दांगी 1/12 माधुरी पत्नि संदीप कुमार गुप्ता 1/12 विमला पत्नि बृजेश 1/9 दिनेश कुमार तनय बटनलाल 1/9 रमेश तनय रमेश 1/3
2	152/1	0.180	0.100	रश्मि पत्नि राकेश खंताल 84/160 मनीष कुमार तनय रमेशचन्द्र 76/160 हिस्सा

3	151 / 2	0.186	0.015	राजाराम तनय गुमान 65 / 186 अमित तनयं शिवराम, राजासिंह तनय अरविन्द, रवि तनय राकेश सिंह, अंकित तनय नरेन्द्र सिंह दांगी माधुरी पत्नि संदीप गुप्ता 121 / 186
4	153	13.354	0.400	शासकीय पहाड़
5	397	10.088	0.560	शासकीय पहाड़
6	569 / 2630 / 1 / 2 / 6	82.569	2.200	शासकीय पहाड़
कुल योग	6	106.507	3.385	
1	478 / 1412	1.360	0.169	भगवती पुत्री दुल्ले साहू 1 / 1360 वेदप्रकाश पुत्र कृपाराम अडजरिया 28 / 1360 ओमप्रकाश पुत्र दुल्ले साहू 124 / 1360 गिरन सिंह पुत्र मातादीन यादव 7 / 48 चन्दनसिंह पुत्र मातादीन यादव 7 / 48 गोविन्द दास पुत्र रामप्रसाद साहू 1 / 8 नरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद दुवे 1 / 12 अंकित पुत्र ओमप्रकाश साहू 5 / 16 आघा सिंह पत्नि अमित कुमार चौहान 51 / 1360 बलराम सिंह पुत्र हरीराम कमरिया 51 / 1360
2	384 / 2	0.190	0.011	मान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1 / 3 माया देवी वेवा पूरनलाल यादव 1 / 3 थान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1 / 3
3	452	0.397	0.091	माया देवी वेवा पूरनलाल यादव 1 / 3 थान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1 / 3 मानसिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1 / 3
4	432	0.368	0.160	लखन पुत्र घमंडी यादव
5	431 / 1	0.120	0.006	लालाराम पुत्र परीछत यादव 7 / 54 हनुमत सिंह पुत्र कल्याण यादव 7 / 90 विद्या वेवा कल्याण यादव 7 / 90 अतरसिंह पुत्र लालाराम यादव 7 / 54 हुकुम सिंह पुत्र परीछत यादव 1 / 36 महाराजसिंह पुत्र लालाराम यादव 7 / 54 जाहरसिंह पुत्र कल्याण यादव 7 / 90 पहाड़सिंह पुत्र कल्याण यादव 7 / 90 अमरसिंह पुत्र बालाराम यादव 7 / 72

				तारकसिंह पुत्र कल्याण यादव 7/90 मनोहरसिंह पुत्र बालाराम यादव 7/72
6	431/2	0.119	0.006	मानसिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3 मायादेवी वेवा पूरनलाल यादव 1/3 थान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3
7	396	0.384	0.172	पुष्टेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 महेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 रविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 भूपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 आशाराम पुत्र रंधीर यादव 1/7 निरपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 अरविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7
8	386	0.567	0.005	लालाराम पुत्र सुजान गडरिया 1/24 सरोज पुत्री सुजान गडरिया 1/24 अमित कुमार पुत्र करन सिंह चौहान 1/24 रघुराज पुत्र सटोले गडरिया 1/6 नन्ही बाई वेवा सटोले गडरिया 1/6 बलवान पुत्र सटोले गडरिया 1/6 मिथला पुत्री सटोले गडरिया 1/6 कमला पुत्री सटोले गडरिया 1/6 पुक्खन वेवा सुजान गडरिया 1/24
9	390	0.085	0.021	पुष्टेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 महेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 रविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 भूपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 आशाराम पुत्र रंधीर यादव 1/7 निरपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 अरविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7
10	395	0.138	0.020	वीरेन्द्र कुमार पुत्र गनू यादव 1/12 अनंतराम पुत्र गनू यादव 1/12 रामकिशोर पुत्र गनू यादव 1/12 आशाराम पुत्र रंधीर यादव 1/12 रामकुमार पुत्र रंधीर यादव 1/12 विनोद पुत्र बादाम यादव 1/60 संजीव पुत्र बादाम यादव 1/60 मनीषा पुत्री बादाम यादव 1/60 मंजू पुत्री बादाम यादव 1/60 मीरा वेवा बादाम यादव 1/60 लक्ष्मी वेवा सरमन यादव 1/84 कपूरी वेवा धनीराम यादव 1/24 हरिमोहन पुत्र धनीराम यादव 1/24 पुष्पा पुत्री सरमन

				यादव 1/84 सुन्दर सिंह पुत्र सरमन यादव 1/84 स्वामी प्रसाद पुत्र सरमन यादव 1/84 सज्जनसिंह पुत्र सरमन यादव 1/84 प्रमोद पुत्र सरमन यादव 1/84 इन्द्रपाल पुत्र सरमन यादव 1/84 गुलाब सिंह पुत्र घनश्याम यादव 1/6 फूलसिंह पुत्र घनश्याम यादव 1/6
11	223	1.335	0.223	गोपीलाल पुत्र विलासी कुशवाहा 1/2 पम्मालाल पुत्र विलासी कुशवाहा 1/2
12	220	0.275	0.122	मनीराम पुत्र भगवानदास यादव 1/3 लवकुश पुत्र भगवानदास यादव 1/3 कौशिल्या वेवा भगवानदास यादव 1/3
13	199	0.510	0.210	बबूलाल पुत्र खरू अहिरवार
14	75	0.866	0.120	शिवदयाल पुत्र बलदेव गडरिया 1/6 देशराज पुत्र मंजू गडरिया 1/9 नाथूराम नाठबा० पुत्र मंजू गडरिया 1/9 दशरथ पुत्र मंजू गडरिया 1/9 गोटीराम पुत्र परमोले गडरिया 1/3 गंगादीन बलदेव गडरिया 1/6
15	74	0.283	0.009	गुविंदी पुत्र खुंशाई अहिरवार 1/3 बृजेश पुत्र कुंवर अहिरवार 1/27 हरप्रसाद पुत्र परसू अहिरवार 1/27 प्रकाश पुत्र परसू अहिरवार 1/27 हरीशंकर पुत्र कुंवर अहिरवार 1/27 जयराम पुत्र परसू अहिरवार 1/27 अनन्दी पुत्र परसू अहिरवार 1/27 हरीराम पुत्र परसू अहिरवार 1/27 पम्मे पुत्र खुन्शाई अहिरवार 1/3 ज्ञानी पुत्र परसू अहिरवार 1/27 पानकुंवर पल्लि परसू अहिरवार 1/27
16	73	0.263	0.032	जशोदा पुत्री रामदयाल अहिरवार 1/20 ज्ञानवती पुत्री रघुनाथ अहिरवार 1/40 सुरेश पुत्र रघुनाथ अहिरवार 1/40 मन्टोले पुत्र रंधीर अहिरवार 1/8 रामकिशन पुत्र रंधीर अहिरवार 1/8 रामदयाल पुत्र रंधीर अहिरवार 1/8 प्रमोद पुत्र लालाराम अहिरवार 1/40 मूंगा पुत्री डरेले अहिरवार 1/20

				मातादीन पुत्र डरेले अहिरवार 1/20 खुमान पुत्र डरेले अहिरवार 1/20 कालीचरन पुत्र डरेले अहिरवार 1/20 प्रमोद कुमार पुत्र लालाराम अहिरवार 1/80 संगीता पुत्री लालाराम अहिरवार 1/80 राजकुमारी पुत्री लालाराम अहिरवार 1/80 मुलिया वेवा लालाराम अहिरवार 1/80 सुकई पुत्र धुकना अहिरवार 1/4
17	72	0.243	0.032	पम्मे पुत्र खुंशाई अहिरवार 1/3 गुविंदी पुत्र खुशाई अहिरवार 1/3 पानकुंवर वेवा परसू अहिरवार 1/24 हरप्रसाद पुत्र परसू अहिरवार 1/24 ज्ञानी पुत्र परसू अहिरवार 1/24 हरीराम पुत्र परसू अहिरवार 1/24 जयराम पुत्र परसू अहिरवार 1/24 अनन्दी पुत्र परसू अहिरवार 1/24 प्रकाश पुत्र परसू अहिरवार 1/24 हरीशंकर पुत्र कुंवर अहिरवार 1/48 बृजेश पुत्र कुंवर अहिरवार 1/48
18	71	0.809	0.142	हरप्रसाद पुत्र परसू अहिरवार 2/27 ज्ञानी पुत्र परसू अहिरवार 2/27 पानकुंवर पलि परसू अहिरवार 2/27 प्रकाश पुत्र परसू अहिरवार 2/27 गुविंदी पुत्र खुंशाई अहिरवार 1/3 हरीराम पुत्र परसू अहिरवार 2/27 हरीशंकर पुत्र कुंवर अहिरवार 2/27 बृजेश पुत्र कुंवर अहिरवार 2/27 अनन्दी पुत्र परसू अहिरवार 2/27 जयराम पुत्र परसू अहिरवार 2/27
19	70	0.150	0.053	कुसमा पल्लि मटू कुशवाहा 1/16 बलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16 हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8 दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2 चम्पा वेवा बृजनन्दन कुशवाहा 1/288 राकेश पुत्र बृजनन्दन कुशवाहा 1/288 नीतू पुत्री बृजनन्दन कुशवाहा 1/288 शिवानी नाबालिक पुत्री बृजनन्दन कुशवाहा

				1/288 द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72 लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72 कसिया वेवा चितुआ कुशवाहा 1/72, सूका तनय तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू तनय भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन तनय भागीरथ कुशवाहा 1/72, सेवकराम तनय भागीरथ कुशवाहा 1/72, कुशमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/216, रूपसिंह तनय राजाराम कुशवाहा 1/216, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई तनय छिम्मे कुशवाहा 1/16
20	56	0.312	0.020	दयाराम तनय भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेवा बृजनंदन कुशवाहा 1/192, राकेश पुत्र बृजनंदन कुशवाहा 1/192, नीतु पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/192, शिवानी नावा० पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/192, कशिया वेवा चितुआ कुशवाहा 1/48, बलराम पुत्र सूके कुशवाहा 1/48, कमल तनय सूके कुशवाहा 1/48, रघुवर तनय सूके कुशवाहा 1/48, प्यारी वेवा सूके कुशवाहा 1/48, द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/48, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/48, करंजू पुत्र भगीरथ कुशवाहा 1/48, ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/48, सेवकराम पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/48, बलराम तनय नंजू कुशवाहा 1/24, हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/24, भरोसे पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/24, मलखान तनय दलसिंह कुशवाहा 1/24, कुसमा पलि मंटू कुशवाहा 1/24, कुसमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/144, रूपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/144, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/144
21	55	0.020	0.020	दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा
22	54	0.247	0.042	दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा
23	53	0.263	0.053	मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/2, अमित

				कुमार पुत्र करनसिंह चौहान 3/14, चेनवाई वेवा मलखान कुशवाहा 1/14, क्रांति पुत्री मलखान कुशवाहा 1/14, भुवानी पुत्री मलखान कुशवाहा 1/14, लच्छीराम पुत्र मलखान कुशवाहा 1/14
24	24	0.186	0.089	कुसमा पल्लि मंटू कुशवाहा 1/16, बलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16, हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8, दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेवा बृजनंदन कुशवाहा 1/288, राकेश पुत्र बृजनंदन कुशवाहा 1/288, नीतू पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/288, शिवानी नावा० पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/288, द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, कसिया वेवा चितुआ कुशवाहा 1/72, सूका पुत्र तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, सेवकराम पुत्र भगीरथ कुशवाहा 1/72, कुसमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/216, रुपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/216, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/16
25	25	0.166	0.018	कुसमा पल्लि मंटू कुशवाहा 1/16, बलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16, हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8, दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेवा ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, राकेश पुत्र ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, नीतू पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, शिवानी नावा० पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, कसिया वेवा चितुवा कुशवाहा 1/72, सूका पुत्र तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन पुत्र भगीरथ कुशवाहा 1/72, सेवकराम

				पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, कुसमा वेबा राजाराम कुशवाहा 1/216, रूपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/216, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/16
26	26	0.219	0.008	कुसमा पत्नि मंटू कुशवाहा 1/16, बलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16, हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8, दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेबा ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, राकेश पुत्र ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, नीतू पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, शिवानी नारोवा पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, कसिया वेबा चितुवा कुशवाहा 1/72, सूका पुत्र तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, सेवकराम पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, कुसमा वेबा राजाराम कुशवाहा 1/216, रूपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/216, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/16
27	27	0.069	0.011	प्रेम वेबा कुटु बढ़ई 1/5, किरन पुत्री कुटु बढ़ई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ब्रष्मान पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढ़ई 1/5
28	28	0.279	0.009	प्रेम वेबा कुटु बढ़ई 1/5, किरन पुत्री कुटु बढ़ई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ब्रष्मान पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढ़ई 1/5
29	29	0.085	0.085	प्रेम वेबा कुटु बढ़ई 1/5, किरन पुत्री कुटु बढ़ई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ब्रष्मान पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढ़ई 1/5
30	30	0.109	0.012	प्रेम वेबा कुटु बढ़ई 1/5, किरन पुत्री कुटु बढ़ई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढ़ई

				1/5, ब्रष्टभान पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढ़ई 1/5
31	39	0.934	0.095	प्रेम वेबा कुटु बढ़ई 1/5, किरन पुत्री कुटु बढ़ई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ब्रष्टभान पुत्र कुटु बढ़ई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढ़ई 1/5
योग		11.351	2.066	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी जिला निवाड़ी म0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई क्रय विक्रय नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

राकेश सिंह मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 31 मार्च 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम गड्पुरा के ढूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची – 2 :—

पार्वती परियोजना के ढूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गड्पुरा की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	आरिफखां पिता सलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.700	0.580
	योग —	1	0.700	0.580
2	कमलीबाई, अमृतादेवी पिता बुधराम जाति चमार हि 1/2, जसरथ अवधनारायण पिता बटटूलाल सम्पत्तबाई फूलवती पति बटटूलाल राज पायल मनीषा किरण चारो नाबा. पिता देवीलाल सरपरस्त माता सुनिताबाई बेवा देवीलाल हि. 1/2 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	4/10/1	0.111	0.111
	योग —	1	0.111	0.111
3	राजमल पिता बापूलाल जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/3/2/1	0.098	0.098
	योग —	1	0.098	0.098
4	हेमसिंह पिता खुमानसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37	0.253	0.110
	योग —	1	0.253	0.110

5	बसन्तीबाई पिता रामप्रसाद जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	80/2	0.759	0.060
	योग –	1	0.759	0.060
6	नसीरखां पिता सुबानखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96/2/1	0.346	0.346
	योग –	1	0.346	0.346
7	विकमसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	115/1/1/1	0.362	0.165
	योग –	1	0.362	0.165
8	दीपसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	115/1/1/2	0.362	0.083
	योग –	1	0.362	0.083
9	लखनसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	115/1/1/3	0.362	0.100
	योग –	1	0.362	0.100
10	हबीबखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	141/2/2	0.265	0.045
	योग –	1	0.265	0.045
11	जमीलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/1/1	0.413	0.206
	योग –	1	0.413	0.206
12	कामिलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/2/1	0.413	0.206
	योग –	1	0.413	0.206
13	कासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/3/1	0.413	0.206
	योग –	1	0.413	0.206
14	मो. हासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	181/4/1	0.413	0.146
	योग –	1	0.413	0.146
15	निस्पत खां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	186 187/1	0.253 0.759	0.223 0.759
	योग –	2	1.012	0.982
16	रईसखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/1/1	0.071	0.071
	योग –	1	0.071	0.071

17	असंजददीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी योग –	189/1/2/1 1	0.072	0.072
18	रमजानीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/3/1 1	0.072	0.072
19	अकीलाबी बेवा नन्नेखां फारुखखां असलमखां अकबरखां सलमाबी कल्लोबी पिता नन्नेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/4/1 1	0.072	0.072
20	अजीजखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/1/5/1 1	0.071	0.071
21	शहाबुददीनखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/2/1 1	0.082	0.082
22	सत्तारखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/3/1 1	0.082	0.082
23	नवीखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/4/1 1	0.081	0.081
24	शमसुदीन फकरुदीन काशीम अजीज पिता बाबूखां सेतुनाबी बेवा बाबूखां खेरुनबी रुकसर पुत्री बाबूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम बरोड़ी भूमि स्वामी	189/5/1 1	0.081	0.081
25	छोटेखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	189/6/1 1	0.082	0.082
26	सलीमखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुसाफखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, जहीरखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नुखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नीबी पुत्री कल्लूखां हि. 1/6, फरीदखां पिता शरीफखां हि. 1/30, मुबीनखां पिता शरीफखां हि. 1/30 खुशीदखां पिता शरीफ खां 1/30, फरीदाबी पुत्री शरीफखां हि. 1/30, नफीसाबी बेवा शरीफखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	198/2/1 1	0.068	0.068
27	महबूबखां दोलतखा लियाकतखा पिता काल्लूखा महरुमबी बेवा इज्जतखा जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	190/3 1	0.759	0.216
	योग –	28	7.875	4.494
	महायोग			

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 15 मई 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ६५/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ६५/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सूण्डी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सूण्डी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील—नरसिंहगढ़

जिला—राजगढ़

(1) भूमि :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित भूमि (हे.मे.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	जगदीश पिता परमा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	84/1/2	0.885	0.200	
	महायोग —	1	0.885	0.200	

डूब प्रभावित निजी शोचालयो की सूची

स.क्र.	नाम	सर्वे नम्बर	लम्बाई	चौडाई	रकबा (व.मी.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	5	6
1	गोकुल पिता अमरजी	55	2.10	1.60	3.36	
2	गोपालसिंह पिता बंशीलाल	58/2	1.80	2.00	3.60	
3	चन्द्रसिंह पिता अमराजी	55	1.80	1.70	3.06	
4	विष्णुपुरी पिता नारायणपुरी	62	1.00	3.00	3.00	
5	अमृतगिर पिता उम्मेदगिर	62	1.50	1.50	2.25	
6	चन्दनपुरी पिता केशरपुरी	62	2.00	1.30	2.60	
7	लखनपुरी पिता प्रसादपुरी	62	1.50	1.50	2.25	

8	दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी	87/2	2.10	1.20	2.52	
9	बद्रीपुरी पिता प्रभूपुरी	27/1/3	1.20	1.50	1.80	
10	राजेशपुरी पिता बद्रीपुरी	27/1/3	1.20	1.50	1.80	
		27/1/3	2.05	0.90	1.85	पानी का टैंक
11	गोविन्दपुरी पिता तुलसीपुरी, रामपुरी, श्यामपुरी	27/1/2/2	1.20	1.50	1.80	
12	रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी	27/1/2/1	1.20	1.50	1.80	
		27/1/2/1	3.00	0.90	2.70	पानी का टैंक
13	अखिलेश पिता बंशीलाल	64	1.30	1.50	1.95	
14	अमरिशपुरी पिता मोहनपुरी	68/1/1	1.80	1.20	2.16	
15	हेमराजपुरी पिता केलाश पुरी	68/1/2	0.90	3.50	3.15	पानी का टैंक
		68/1/2	2.20	1.50	3.30	
16	प्रेमपुरी पिता कानपुरी, सुरेशपुरी पिता प्रेमपुरी	68/1/1	1.70	2.00	3.40	
17	लालचन्द पिता कालूराम, जगमोहन पिता लालचन्द	69/2	2.40	2.40	5.76	
18	केलाश पिता पन्नालाल	62	1.30	1.10	1.43	
19	सुरेश पिता रामप्रताप	62	2.25	1.55	3.49	
20	हेमसिंह, देवीलाल, घनश्याम पिता बटनलाल	62	2.60	1.60	4.16	
21	भारतपुरी पिता रतनपुरी	62	1.10	1.00	1.10	
22	चंचलपुरी, सोनूपुरी, अनिल पिता रतनपुरी	62	1.90	1.80	3.42	
23	ओमपुरी पिता इमरतपुरी	62	1.40	1.70	2.38	
24	दीपकपुरी पिता शिवपुरी	62	1.00	1.10	1.10	
25	भगवानपुरी पिता शिवपुरी	62	1.50	2.60	3.90	
			1.10	1.00	1.10	
26	रोडजी पिता अमृतगिर	62	1.90	1.50	2.85	
27	प्रहलादपुरी पिता कंचनपुरी	62	1.00	1.80	1.80	
28	गोकुलपुरी पिता केशरपुरी	62	1.00	1.00	1.00	पानी का टैंक
29	भगवानपुरी पिता प्रेमपुरी	70/2/2	4.00	2.00	8.00	
30	शत्रुघ्न पिता हरिप्रसाद	62	2.00	2.50	5.00	
31	लखनपुरी पिता प्रेमपुरी	74	1.30	1.10	1.43	
महायोग —					96.26	

झूब प्रभावित शेष परिसम्पत्ति की सूची

स.क्र.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रक्का (व.मी.)	मकान का प्रकार (परिसम्पत्ति)
1	2	3	4	5	6
1	रामलाल पिता पूनाजी	2.20	2.20	4.84	पक्का चबूतरा
2	लालपुरी पिता शिवपुरी	2.70	2.20	5.94	पक्का चबूतरा
3	सियाबाई पति बादामपुरी	2.20	2.10	4.62	पक्का चबूतरा
4	नारायणपुरी पिता बापूपुरी	4.00	4.00	16.00	पक्का चबूतरा
		3.40	2.90	9.86	पक्का चबूतरा
		1.30	1.40	1.82	पक्का चबूतरा
		1.00	1.00	1.00	पक्का चबूतरा
5	अमृत गिर पिता उम्मेद गिर	1.80	1.40	2.52	पक्का चबूतरा
6	दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी	3.00	3.00	9.00	पक्का चबूतरा
7	विकमपुरी पिता चन्दनपुरी	3.00	2.10	6.30	दुकान टीनशेड
8	नर्मदापुरी पिता शम्भुपुरी	5.40	2.00	10.80	पक्का चबूतरा
9	कल्लूपुरी पिता हरिपुरी	2.50	2.50	6.25	पक्का चबूतरा
10	रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी	3.00	3.00	9.00	पक्का चबूतरा
11	शिवनारायण पिता बंशीलाल	6.30	2.50	15.75	पक्का चबूतरा
12	गोविन्द पिता बापूलाल	2.90	2.20	6.38	पक्का चबूतरा
13	भजनसिंह पिता मानसिंह	7.20	4.40	31.68	कच्चा मकान कबेलू
14	भोलाराम पिता मानसिंह	5.30	2.00	10.60	कच्चा मकान कबेलू
		5.30	3.50	18.55	कच्चा मकान कबेलू
15	इमरतपुरी, चन्दनपुरी, भरतपुरी पिता रतनपुरी	2.10	2.30	4.83	पक्का चबूतरा
16	बटनलाल पिता भंवरलाल	1.80	1.80	3.24	पक्का चबूतरा
17	लालचन्द पिता कालूराम	2.30	2.20	5.06	पक्का चबूतरा
18	हेमराज पुरी पिता कैलाशपुरी	16.75	0.30	5.03	ईट की दिवार
	महायोग -			189.07	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

“
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०६/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०६/अ-८२/२०२२-२३ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक २ में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम तरेनी धाकड़, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के छूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा-११ के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-११(३) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - २ :-

पार्वती परियोजना के छूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम तरेनी धाकड़, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(१) भूमि :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित भूमि (हे.मे.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	दोलतसिंह पिता चुन्नीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	23/1/1/1 1/1	0.180	0.100	
	योग -	1	0.180	0.100	
2	मांगीलाल पिता चुन्नीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	23/1/1/1 1/2	0.180	0.060	
	योग -	1	0.180	0.060	
3	बंशी पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/2	0.152	0.152	
	योग -	1	0.152	0.152	
4	सरलीबाई बेवा भावसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	96/3	0.695	0.020	
	योग -	1	0.695	0.020	

5	रामचरण पिता देवबक्ष जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/1	0.506	0.506	
	योग -	1	0.506	0.506	
6	रामप्रसाद पिता देवचन्द जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/1/ 1	0.032	0.032	
	योग -	1	0.032	0.032	
7	मांगीलाल पिता देवचन्द जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/2	0.032	0.032	
	योग -	1	0.032	0.032	
8	कैलाश पिता देवचन्द जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/3	0.033	0.033	
	योग -	1	0.033	0.033	
9	हरिप्रसाद पिता मदनलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/4	0.033	0.033	
	योग -	1	0.033	0.033	
10	रामदयाल पिता मदनलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/5	0.032	0.032	
	योग -	1	0.032	0.032	
11	दशरथ पिता मदनलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/6	0.032	0.032	
	योग -	1	0.032	0.032	
12	धन्नालाल पिता गोपीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/3/7	0.337	0.095	
	योग -	1	0.337	0.095	
13	रामबाबू पिता फूलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	175/1/1	0.593	0.495	
	योग -	1	0.593	0.495	
14	केशरसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	175/4	1.265	1.015	
	योग -	1	1.265	1.015	
15	कैलाश पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	175/5	1.265	1.115	
	योग -	1	1.265	1.115	

16	मांगीलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	312/2	1.137	1.000	
	योग -	1	1.137	1.000	
17	बालाप्रसाद पिता परसराम रामचन्द्र पिता परसराम, सुगनबाई पुत्री परसराम सरजूबाई पुत्री परसराम कृष्णबाई पुत्री परसराम गोपाल, ललिताबाई नाबालिंग पिता रामप्रसाद संरक्षक सुगनबाई बेवा रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा रामप्रसाद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	314/9	0.177	0.177	
	योग -	1	0.177	0.177	
	महायोग -		6.681	4.929	

झूब प्रभावित निजी शोचालयों की सूची

स.क्र.	नाम	सर्वे नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	रक्खा (व.मी.)	रिमार्क
1	रामसिंह पिता गंगाराम	235/2	1.90	1.60	3.04	
2	कमलसिंह पिता भूराजी	245/4/1	1.80	1.40	2.52	
3	चैनसिंह पिता भूराजी	245/4/1	1.80	1.40	2.52	
4	मांगीलाल पिता चुन्नीलाल	244/1	1.20	1.20	1.44	
5	नरेश, अनिल पिता मथरालाल	246/1	1.20 2.50	1.20 2.50	1.44 6.25	
6	केशरसिंह पिता हरकिशन	246/2, 246/3	3.50	1.00	3.50	
7	प्रदीप पिता पूनमचन्द	156	1.10	1.10	1.21	
8	सुरेश पिता गोपीलाल	254	1.50	1.50	2.25	
9	रामसिंह पिता भंवरलाल		1.80	1.65	2.97	
10	संजय पिता लक्ष्मीचन्द	126/2	1.65	1.50	2.48	
11	बनेसिंह पिता शंकरलाल		1.50	1.50	2.25	
12	गिरधारीलाल पिता देवचन्द	260/2	3.15	0.80	2.52	
13	उमेदराम पिता खूबचन्द	126/2	2.95 4.20	1.60 1.20	4.72 5.04	
14	घीसीलाल पिता नन्नूलाल	126/2	1.10	1.00	1.10	
15	हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ	126/2	1.10	1.00	1.10	

16	मथुरालाल पिता हरकिशन	246/1	2.50	3.00	7.50	
17	कृष्णाबाई पति मधूसूदन	167/6	3.20	0.80	2.56	
			3.00	2.50	7.50	
			3.80	1.50	5.70	
18	जयप्रकाश पिता अमृतलाल	167/8	2.00	0.70	1.40	
19	पवन पिता प्रभुलाल	173/8	3.40	0.90	3.06	
20	मुकेश पिता रामचरण	146/1	2.80	2.40	6.72	
21	मांगीलाल पिता देवचन्द, पुरुषोत्तम, जितेन्द्र पिता मांगीलाल	134/1	3.90	2.00	7.80	
22	सुन्दरलाल पिता अनोखसिंह	134/2/1	2.90	1.80	5.22	
23	पुरुषोत्तम पिता बल्देव	126/2	1.30	1.00	1.30	
24	छोटिया पिता भोलाराम	126/2	1.20	1.20	1.44	
25	पूनमचंद पिता हरकिशन	126/2	1.20	1.20	1.44	
26	केशरसिंह पिता देवचंद	134/2/2	3.50	3.00	10.50	
	योग :—				116.19	

झूब प्रभावित शेष परिसम्पत्ति की सूची

स.क्र.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रक्खा (व.मी.)	मकान का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	केशरसिंह पिता हरकिशन	3.40	2.50	8.50	चबूतरा	
		2.40	2.35	5.64	चबूतरा	
2	कमलसिंह पिता मानसिंह	2.00	2.00	4.00	चबूतरा	
3	रामसिंह पिता भंवरलाल	1.50	1.50	2.25	चबूतरा	
		2.30	2.50	5.75	चबूतरा	
		2.00	2.00	4.00	चबूतरा	
		2.00	2.00	4.00	चबूतरा	
		3.10	2.60	8.06	चबूतरा	
		2.00	2.00	4.00	चबूतरा	
		2.00	2.00	4.00	चबूतरा	
		2.00	2.00	4.00	चबूतरा	
		9.70	4.40	42.68	ए.ल.डी.पी.ई	
		3.00	3.00	9.00	चबूतरा	

4	उम्मेदराम पिता खूबचन्द	2.00 19.40	2.00 3.80	4.00 73.72	चबूतरा टीन शेड	
5	पवन पिता प्रभूलाल	1.60 3.70	1.60 1.00	2.56 3.70	चबूतरा होद	
6	मुकेश पिता रामचरण	3.10 2.10	3.10 0.60	9.61 1.26	चबूतरा ठेल	
7	नारायणसिंह पिता बंशीलाल	7.40	6.90	51.06	कच्चा कबेलू	
8	दुलीचंद पिता कालूराम	7.30	7.00	51.10	कच्चा कबेलू	
9	रामसिंह पिता किशनलाल	5.90 2.00	3.90 2.20	23.01 4.40	कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू	
10	अजबसिंह पिता शोभाराम	3.70	3.40	12.58	कच्चा कबेलू	
11	दयालसिंह पिता कंवरलाल	9.00 3.10	0.80 0.90	7.20 2.79	होद	
12	मथरालाल पिता गणपत	2.70	2.00	5.40	चबूतरा	
13	फूलसिंह रामसिंह पिता देवचन्द	2.70	2.80	7.56	चबूतरा	
14	बनेसिंह पिता हजारीलाल	5.20	6.90	35.88	टीन शेड	
15	संजय, मनीष पिता लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद पिता मोतीलाल	12.00 6.25	3.50 3.85	42.00 24.06	टीन शेड	
16	मथरालाल पिता हरकिशन	8.00	5.00	40.00	टीन शेड	
17	केशरसिंह पिता देवचंद	6.40 9.20	3.50 3.30	22.40 30.36	टीन शेड	
	योग :-			564.53		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र.-3758—जि.भू.अ.—2023

सिवनी, दिनांक 26 मई 2023

प्रारूप—क

नियम—०४

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत मारबोडी तहसील लखनादौन परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर—छिंदवाडा—जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा।

१	परियोजना विकासक का नाम	महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)
२	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर—छिंदवाडा—जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण
३	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	१ अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी सिवनी २ कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक १ सिवनी ३ कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भू / स) सिवनी ४ तहसीलदार, सिवनी ५ सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी ६ वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी ७ संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी
४	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	सिवनी
ग	ग्राम / नगर	मारबोडी
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	०.३१ हे.
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	०.३१ हे.
५	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेवकान लाईनिंग बाल्ब (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु
६	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम मारबोडी परियोजना क्षेत्र ०.३१ हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र ०.३१ हे.
७	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	हैं
८	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (र) एवं भू—अर्जन अधिकारी सिवनी जिला लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्टिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच.-७ जबलपुर में किया जा सकता है।

प्रारूप—क
नियम—04

क्र.—3759—जि भू.अ.—2023

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत बंजारी तहसील लखनादौन परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर—छिंदवाडा—जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र)
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर—छिंदवाडा—जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी लखनादौन 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग कमांक 1 सिवनी 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ./सौ)सिवनी 4 तहसीलदार, लखनादौन 5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 6 बन परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत बंजारी
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	लखनादौन
ग	ग्राम / नगर	बंजारी
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.43 हे.
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.43 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेवान लाईनिंग बाल्ब (एस.बी.) स्टेशन का निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम बंजारी परियोजना क्षेत्र 0.43 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.43 हे.
7	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	हाँ
8	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (स) एवं भू—अर्जन अधिकारी सिवनी जिला लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच.-7 जबलपुर में किया जा सकता है।

प्रारूप—क
नियम—04

क्र.—3760—जि.भू.अ.—2023

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भिलमा तहसील लखनादौन परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर—छिंदवाडा—जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (मप्र)
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर—छिंदवाडा—जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी लखनादौन 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग कमांक 1सिवनी 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/ स) सिवनी 4 तहसीलदार, लखनादौन 5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत भिलमा
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	लखनादौन
ग	ग्राम / नगर	भिलमा
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.31 हे.
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.31 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेवशन लाईनिंग बाल्ब (एस.बी.) स्टेशन का निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम भिलमा परियोजना क्षेत्र 0.31 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.31 हे.
7	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	हॉ
8	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रो) एवं भू—अर्जन अधिकारी सिवनी जिला लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच.-7 जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी,
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

क्र.-2354—री—1—भू—अर्जन—2023—रा.प्र.क्र.—0501—ब—121—2022—23

भीकनगांव, दिनांक 26 मई 2023

प्ररूप—“घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 181/भू—अर्जन/री—1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव—बिजलवडा मार्डिको उद्वेहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आरोपी 21.00 किमी० पर ग्राम— बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की बांध मार्डिन पाईप नहर क्रमांक— 73 में जल परिवहन हेतु ग्राम— टेमला, प.ह.न.— 42, रा.नि.म.—01, भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्यामी/अधिगोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

∴ अनुसूची ∴

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— टेमला, प.ह.न.— 42,	216/1	0.050
			216/3	0.066
			169/1	0.125
			169/7	0.050
			169/2/2/2	0.020
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— टेमला, प.ह.न.— 42,	169/2/4/1	0.045
			169/2/3/1	0.040
			169/2/1	0.035
			169/13	0.094
			197	0.068
			210/1	0.088
			211/1/2	0.025
			236/2/2	0.038
			229/4	0.050
			229/5	0.025
कुल योग			16	0.827

क्र.-2356-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0095-ब-121-2023-24

प्ररूप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 1378/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 26/03/2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आरोड़ी 83.045 किमी पर निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक-03 ग्राम— पिपलई बुजुर्ग, तहसील भीकनगांव से ग्राम— बड़िया तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-106 में जल परिवहन हेतु ग्राम— छिर्वा, प.ह.नं.—19/78, रा.नि.म.—02, अंदड़, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिरखामी/अधिभौगोली को गीद़ी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— छिर्वा प.ह.नं. —19/78,	207/1/1	0.049
			207/3/1	0.053
			210/7	0.035
			210/5	0.050
			210/2	0.055

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— छिर्वा प.ह.नं. —19/78,	210/4 490/3 490/1 489/2 490/7 216/5 489/1 216/8 490/8 489/6 216/6 488/2 487/2 487/1 484/3 484/4 484/1 626/12 473 475/4 76/1 475/4 76/2 477/1 485 484/2 209/2 207/5 216/7 216/4 217/3 217/6 217/2 217/4 219/1/3 219/1/1 219/2/1 219/3/1 219/4	0.050 0.030 0.030 0.040 0.040 0.020 0.020 0.020 0.045 0.020 0.020 0.038 0.173 0.060 0.055 0.052 0.040 0.055 0.008 0.065 0.011 0.051 0.037 0.037 0.003 0.018 0.020 0.020 0.027 0.017 0.050 0.025 0.008 0.018 0.034 0.033 0.032

/ / ० / /

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— छिर्वा प.ह.नं. —19/78,	190/3 190/4 190/5/2 190/5/3 200/1 200/2 201 198/2 100 99/7 99/2/2 99/5 99/6 98/11 98/12 98/9 98/10 95/3 95/5 95/4/1 95/4/2 87/2 88/1 88/2 89/1 590 589/8 496/1 496/2 90	0.030 0.021 0.009 0.009 0.035 0.034 0.160 0.002 0.044 0.027 0.022 0.051 0.022 0.027 0.027 0.010 0.010 0.036 0.010 0.027 0.100 0.015 0.135 0.051 0.032 0.031 0.051 0.045 0.046 0.150
		कुल योग	72	2.833

क्र.-2358—री-1—भू—अर्जन—2023—रा.प्र.क्र.—0094—ब—121—2023—24

प्ररुप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक— 921/भू—अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 21.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव—बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम— बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक—185 में जल परिवहन हेतु ग्राम— उमरदड़, प.ह.नं.— 62 / 106, रा.नि.मं.—03, भातलपुरा, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, विछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— उमरदड़, प.ह.नं.— 62 / 106	22/3	0.105
			22/1	0.011
			13/1	0.114
			11	0.032
			9	0.004
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— उमरदड़, प.ह.नं.— 62 / 106	8/8	0.040
			8/6	0.025
			8/7	0.020
कुल योग			08	0.351

क्र.—2360—री—1—भू—अर्जन—2023—रा.प्र.क्र.—0093—ब—121—2023—24

प्रस्तुप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 919/भू—अर्जन/री—1/2023, भीकनगांव, दिनांक 21/02/2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव—बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आरोड़ी 83.045 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक—03 ग्राम— पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम— बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक—139 में जल परिवहन हेतु ग्राम— निमोनी प.ह.न.—06/72, रा.नि.म.—02, अंदड़, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24/03/2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संविधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना वस्त्रा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, विभाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— निमोनी प.ह.न. —06/72	171/5	0.058
			172/2	0.048
			173/4/2	0.030
			190/6	0.049
			190/15	0.056

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— निमोनी प.ह.न. —06/72	190/3	0.043
			182/2	0.052
			182/7	0.040
			50/4	0.014
			50/3	0.020
			53/2	0.026
			135/2	0.034
			136	0.033
			54	0.260
			53/1/2	0.005
			190/7/2	0.015
			137/2	0.017
कुल योग			18	0.852

क्र.-2362-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0096-ब-121-2022-23

प्रस्तुप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 192/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा मार्डिको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम— खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच मार्डिनर पाईप नहर क्रमांक—59, 67, 74 व 136 में जल परिवहन हेतु ग्राम— कांझर प.ह.नं.— 33, रा.नि.मं.—01, भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कांझर प.ह.नं.— 33,	565 567 733 736 753	0.035 0.030 0.061 0.019 0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कांझर प.ह.नं.— 33,	612	0.069
			615/2	0.050
			654	0.055
			655	0.055
			615/4	0.060
			538	0.080
			539	0.043
			182	0.002
			537/1	0.069
			523	0.037
			522	0.056
			525	0.025
			516	0.030
			514	0.056
			513	0.025
			512	0.024
			502	0.024
			501	0.034
			500	0.076
			495	0.091
			489	0.080
			486	0.076
			478	0.045
			675	0.060
			679	0.089
			59	0.004
			58	0.116
			10	0.010
			11	0.027

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कांझर प.ह.नं.— 33,	12	0.028
			13	0.028
			55	0.071
			33	0.050
			34/1	0.022
			35	0.042
			42	0.022
			187	0.070
			347	0.039
			359/1	0.005
			344	0.031
			343	0.083
			361/1	0.066
			362	0.063
			338/1	0.042
			337/1	0.013
			338/3	0.003
			34/2	0.022
			338/2	0.042
			236	0.215
			239	0.095
			238	0.062
			246	0.079
			249	0.026
			250	0.027
			260	0.029
			259	0.004
			261	0.023
			258/3	0.048
कुल योग			63	2.970

क्र.—2380—री—1—भू—अर्जन—2023—रा.प्र.क्र.—0052—ब—121—2022—23

भीकनगांव, दिनांक 29 मई 2023

प्ररुप— “घ”
 { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 456/भू—अर्जन/री—1/2023, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव—बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक—03 ग्राम— पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम— बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक— 43 में जल परिवहन हेतु ग्राम— कोदला जागीर प.ह.नं.— 44, रा.नि.म.—01, भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन के अंतर्गत इसकी संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संविधित ग्राम के लोक समागम रथल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कोदला जागीर प.ह.नं.— 44,	85/1	0.100
			85/2	0.025
			84/1	0.065
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कोदला जागीर प.ह.नं.— 44,	90/11 91/11	0.015
			90/10 91/10	0.022
			90/3/2 91/3/2	0.040
			90/3/3	0.015
			96/1	0.078
			96/2	0.025
			96/5	0.095
			96/3	0.040
			103/5	0.030
			105/2	0.095
			कुल योग	13
				0.645

क्र.-2382-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0530-ब-121-2022-23

प्ररूप— “घ”
 { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 1376 /भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 2.9.। १३।२०३३द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-विंजलवाडा माईको उद्वहन सिचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम— बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक— 66, 81, 89, 98, 111 व 123 में जल परिवहन हेतु ग्राम— निमसेठी प.ह.न.— 22/98, रा.नि.म.— 02, चेनपुर, तहसील— झिरन्या, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— निमसेठी प.ह.न.— 22/98	396	0.010
			14/1	0.010
			14/2	0.028
			14/4	0.040
			14/5	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— निमसेठी प.ह.नं.— 22/98	24/2	0.124
			25	0.024
			73	0.027
			20/1	0.018
			20/3	0.013
			20/4	0.013
			20/5	0.013
			20/2	0.079
			21/1	0.016
			21/2	0.024
			68/1	0.036
			68/4	0.060
			23/1	0.028
			23/2	0.024
			32/1	0.028
			32/2	0.016
			32/4	0.016
			35	0.018
			37/1	0.020
			37/2	0.091
			37/4	0.091.
			38/2	0.068
37/3/3	0.021			
57/1	0.080			
93/2	0.050			
103	0.015			
102	0.018			
119/3	0.030			
119/2	0.014			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— निमसेठी प.ह.नं.— 22 / 98	119/5	0.060
			120/1/1	0.031
			120/4	0.032
			120/2	0.025
			302	0.024
			304/1/1	0.009
			304/1/2	0.090
			304/1/3	0.060
			304/3	0.040
			323/2	0.088
			322	0.065
			318/1	0.040
			318/2	0.062
			317/1	0.058
			315/5	0.038
			381/1	0.013
			383	0.035
			60	0.048
			61	
			59	0.034
			90/6	0.027
			90/3	0.042
90/2	0.030			
77/2	0.100			
78	0.003			
80	0.033			
38/1	0.090			
53	0.061			
52	0.090			
55/2	0.040			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— निमसेठी प.ह.नं.— 22/98	95/1	0.006
			55/3	0.040
			95/2	0.004
			96/1	0.080
			168/1	0.062
			371/1	0.068
			371/2	0.052
			373/1	0.010
			373/2	0.044
			373/3	0.024
कुल योग			74	3.032

क्र.-2403-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0097-ब-121-2023-24

प्ररुप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 892/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 21.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आरोड़ी 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक—03 ग्राम— पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम— बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक—105 व 151 में जल परिवहन हेतु ग्राम— आखापुरा प.ह.नं.— 18/77, रा.नि.म.—02, अंदड, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— आखापुरा प.ह.नं.— 18/77,	54	0.188
			51	0.041
			52/2	0.030
			45	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— आखापुरा प.ह.नं.— 18/77,	35 36 37 132/2 137/1/2 137/1/4 137/1/5 137/2 137/3 134 150/1/1 150/1/2 150/1/3 1, 2/1 2/4 2/2 2/5 2/3 2/6 6 5/1 5/2	0.232 0.008 0.007 0.007 0.007 0.013 0.053 0.013 0.013 0.014 0.050 0.054 0.023 0.020 0.027 0.013 0.067 0.039 0.040
कुल योग			23	0.979

क्र.-2401-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0099-ब-121-2023-24

प्ररूप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 917/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 21.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक-03 ग्राम— पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम— बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— टेमला, प.ह.नं.— 42, रा.नि.म.—01, भीकनगांव, तहसील— भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— टेमला, प.ह.नं.— 42,	1/3 1/5 1/7 6/1 5/5	0.046 0.050 0.004 0.026 0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— टेमला, प.ह.नं.— 42,	5/6	0.006
			5/8	0.082
			7/3	0.050
			8/2	0.042
			95/2	0.007
			96/1	0.046
			96/2/3	0.011
			96/3	0.026
			96/2/4	0.020
			101/2/1	0.002
			101/1	0.003
			216/1	0.055
			216/2	0.035
			217	0.054
			223/3	0.021
			223/4	0.043
			223/1	0.002
			226/4	0.002
			226/3/2	0.024
			226/3/1	0.031
			226/2	0.040
			227/2	0.006
			227/3	0.024
			227/4	0.034
			227/5	0.012
			229/1	0.028
			229/5	0.064
			229/4	0.002
			230/1/1/1	0.013
			230/2/1	0.023
			230/2/5	0.075
			230/1/5/2	0.014
			230/4	0.015
			230/1/5/3	0.002
			233/1	0.003
			230/1/5/1	0.018
			232/1	0.010
			232/2	0.010
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— टेमला, प.ह.नं.— 42	232/3/1	0.023
			232/3/2/2	0.011
			238/3/2	
			232/10	0.008
			232/4	0.010
			232/7	0.010
			232/6	0.010
			232/8	0.010
			232/9	0.008
कुल योग			50	1.189

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2023

क्र. A-2087-तीन-10-42-75.—एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिषिठ करते हुए जारी की जा रही है।

No.A-2087-III-10-42-75.—The Judges named in the column No. (3) of the following table are hereby directed to hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. (2) of the table, if any .—

HJS Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sanwer (Indore)	Shri Shivlal Kewat IX District & Additional Sessions Judge, Indore.	10 days
2.	Sanawad (Mandleshwar)	Shri Kaushlendra Sing Bhadauriya, III District & Additional Sessions Judge, Barwah.	20 days

Civil Judge Cadre

1.	Bakaswaha (Chhatarpur)	Shri Abhishek Dixit, I Civil Judge Junior Division, Badamalhara.	15 days
2.	Bichhua (Chhindwara)	Shri Shubham Neema, I Civil Judge Junior, Division Sausar.	Last week of the month
3.	Mandhata (Khandwa)	Shri Priyank Bhardwaj, Civil Judge Senior Division Punasa.	10 days
4.	Jaitpur (Shahdol)	Sushri Akansha Tekam, I Civil Judge Junior, Division Burhar.	15 days

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्र. ए-2132-तीन-10-42-75.—एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिरिक्त करते हुए जारी की जा रही है।

No.A-2132-III-10-42-75.—The Civil Judge, Senior Division named in the column No. (3) of the following table are hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the Table in addition to their place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. (2) of the table, if any. —

Civil Judge Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pachmarhi (Narmadapuram)	Shri Dev Kumar, II Civil Judge Senior Division, Pipariya.	03 days

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2023

क्र. ए-2617-तीन-10-42-75 (इन्दौर-हातोद).—एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री शशांक खरे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इन्दौर, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान इन्दौर के अतिरिक्त हातोद में प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, इन्दौर में ही बैठक करेंगे। इन्दौर-हातोद श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No.A-2617-III-10-42-75 (Indore-Hatod).—It is hereby directed that Shri Shashank khare, Vth Civil Judge Senior Division, Indore who was directed to hold sitting at Hatod in addition to his place of Posting for a period of 10 days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Indore only on all working days in a month. **The sitting of Indore-Hatod Link Court is hereby discontinued.**

By order of Hon'ble the Chief Justice,
SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar (District Establishment).

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र. B-3194-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रर (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को निमानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

- दिनांक 23 से 24 मार्च 2023 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
- दिनांक 23 से 29 मार्च 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रर (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रर (एम.) के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2023

क्र. B-3259-दो-2-25-2022.—श्री विकास चन्द्र मित्र, रजिस्ट्रर (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01 से 10 मई 2023 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विकास चन्द्र मिश्र, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास चन्द्र मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (प्रशासन), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3261-दो-3-38-2017.—श्री समरेश सिंह, रजिस्ट्रार (J-I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 3 मई 2020 से 2 मई 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2311-दो-2-25-2022.—श्री विकास चन्द्र मिश्र, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त 2020 से 23 अगस्त 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2023

क्र. D-2536-दो-2-22-2019.—श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन रजिस्ट्रार (सरकारी), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2018 से 9 सितम्बर 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2023

क्र. B-3619-दो-2-18-2022.—श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2020 से 17 मार्च 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 6 मई 2023

क्र. D-2433-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अठारह माह की अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 12 मई 2023

क्र. A-2428-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 31 मई से 9 जून 2023 तक, दस दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2023

क्र. A-2452-दो-2-64-2021.—श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी (सीनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-2456-दो-2-13-2015.—श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2528-दो-2-28-2019.—श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम् को नर्मदापुरम् पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2530-दो-2-114-2017.—श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 11 से 14 मई 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
2. दिनांक 15 से 19 मई 2023 तक, पाँच दिन का तथा दिनांक 29 मई से 3 जून 2023 तक, छः दिन का कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 11 से 22 मई 2023 की सुबह तक तथा दिनांक 27 मई 2023 की शाम से दिनांक 5 जून 2023 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2532-दो-2-31-2023.—श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2534-दो-2-20-2021.—श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 1 से 4 मई 2023 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-2538-दो-2-22-2019.—श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ल्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2540-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2022 तक, दो वर्ष की ल्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2023

क्र. B-3613-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 मई से 9 जून 2023 तक, कुल पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2023

क्र. B-3621-दो-2-55-2022.—श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 30 मई से 9 जून 2023 तक, ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी,